"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2004—फाल्गुन 8, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री सत्यजीत ठाकुर, भा. प्र. से. (उ. प्र. 1985) जिनकी सेवायें भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/13/2001-AIS (I), दिनांक 10-11-2003 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गयी है, को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत राज्य शासन,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

आयुक्त, उच्च शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय, वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (1984) आयुक्त, आदिमजाति कल्याण, पदेन सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग पदस्थ किया जाता है. श्री दलेई को प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी एवं वित्त विकास निगम का सौंपा गया प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से. (1989) संचालक, आदिमजाति कल्याण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा.प्र.से. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री अमीर अली, भा.प्र.से. अपर कलेक्टर, दुर्ग को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री अली को उक्त कार्य के साथ-साथ प्रबंध संचालक, सहकारी शक्कर कारखाना, कबीरधाम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (1984) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास आयुक्त, तथा सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री राउत द्वारा सचिव, संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. सचिव, संसदीय कार्य विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, भा.प्र.से. (1969) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्रों से संबंधित प्रकरणों के संव्यवहरण हेतु) पदस्थ किया जाता है. श्री विजयवर्गीय, को उक्त कार्य के साथ-साथ आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री विजयवर्गीय द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. चक्रवर्ती, भा.प्र.से. (1970), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, विधि एवं विधायी कार्य तथा वन एवं संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक बी-1-5/2004/4/एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-29/2002/एक/4, दिनांक 4-2-2004 के अनुक्रम में श्री एन. एन. एक्का (रा. प्र. से.) को स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-70/03/उ. शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत बी. एल. एस. यूनिवर्सिटी, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उप नियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है तथा उप नियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 36 (छत्तीस) प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

FIRST STATUTES

Made in accordance with the Provisions in Section 25 of the Chattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyam) Adhiniyam 2002

Short title Extent and Commencement	1.	(1)	These Statutes shall be called **BLS University (FIRST) Statutes, 2003.**
	1.	(2)	They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette of the Government of Chhattisgarh.
	1.	(3)	The Registered office of the BLS University shall be situated at Raipur, Chattisgarh, India.
Definitions	2.	(1)	In these Statutes, unless the context otherwise requires: "Academic Centres" means Education Centres approved by the University for imparting education in formal mode in respect of any or all courses offered by the University and even new innovative courses not offered by the University but approved by them located within or outside the State of Chhattisgarh in India or abroad. "Academic Council" means the Academic Council constituted under Section 22 of the Act and under Section 12 of these First Statutes. "Academic Staff" means such categories of staff as are designated as academic staff by the ordinances. "Academic Year" ordinarily means the period from 01st July of any year to 30th June of the following year or the dates announced by the Academic Council for a particular academic session. "Act" means, the Chhatisgarh Niji Kshetra Vishwa Vidyalaya (Sthapana Aur Vininiyam)

Adhiniyam 2002.

"Affiliation" means and includes together with the grammatical variations in relation to all institutions, colleges and schools, recognition of such institution, colleges, schools by, association of such colleges and schools with, and admission of such schools, colleges, institutions to the privileges of a University. These institutions, schools and colleges may be located in or outside the state of Chhattisgarh with in India and other countries.

"Authorities" means authorities mentioned under Section 19 of the Act, and Section 9.A. of these First Statutes.

"Board" means the Board of Management of the University constituted under Section 21 of the Act and section 11 of these First Statutes.

"Board of Studies" means the Board of Studies of the University for each subject or group of subjects constituted by the Academic Council.

"Chancellor" means the Chancellor of the University as mentioned in Section 14 of the Act and Section 3 of these First Statutes.

"Committee" means all committees constituted under Section 23 of the Act and Sections 16 (A) of these First Statutes.

"Common Seal" means the authoritative seal of the University established under Section 6 of the Act.

"Course" includes programs and courses of studies imparted in the formal mode and / or in the non formal distance education mode in the institutions, colleges, schools and / or Study Centres, off campuses of the University.

"Distance Education" means the education / courses/programs offered to the students on off campus mode. It includes system of imparting education through any means of communication such as broadcasting, contact programs, internet, e-learning or the combination of any two or more of such means.

"Employee" means and includes any person appointed by the University.

"Finance Committee" means the Finance Committee constituted under Section 23 of the Act and Section 16 of these First Statutes.

			"Financial Year" means the period commencing on the 1st of April of any year and ending with 31st March of the following year or any period as prescribed by the Governing Body. "Fund" means the General Fund established under Section 7 of the Act. "Government" means the Government of India. "He" includes She and His includes Her. "Institute" means and includes institute, institution, school and college constituted as part of the University to impart education in specified disciplines located within or outside the State of Chhattisgarh in India and or abroad. "Main Campus" means the campus of the University colleges and schools located at Raipur, Chhattisgarh, India. "Manual of Instructions" includes all rules, procedures, instructions and systems laid down by various committees, Boards, Authorities, Officers of the University for the purposes of smooth functioning of the University. "Ordinance" means ordinances issued by the University as prescribed by Section 27 of the Act. "Planning Board" means the Planning Board of the University constituted under Section 23 of the Act and Section 13 of these First Statutes. "Registrar" means the officer appointed by the Governing Body to exchange correspondence on behalf of the University to sign and authenticate records on behalf of the University and liase with State Government, UGC and other State Authorities, to generally supervise the administrative functions of the University and
			manage the office of the Registrar. "Regulation" means regulations made under Section 37 of the Act. "Rules" means the Rules made under Section 36 of the Act. "Satellite Campus" means the Campus of University Colleges and Schools located outside Raipur, Chhattisgarh, in any part of India and / or abroad.

			"Sponsoring Body" means BLS Education Society registered under the provisions of Chhhattisgarh Panjikaran Adhiniyan 1973. "Staff" means the teaching and non-teaching employees of the University who are on the payroll of the University and does not include any casual, temporary, contractual, ad-hoc employees or visiting persons who may be engaged for a specific assignment or work. "States" means the States of India. "State Government" means the Government of the State of Chhattisgarh. "Statutes" means the Statutes made under Section 25 & 26 of the Act and includes the amendments, alterations and modifications to the Statutes. "Student" means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any program of study at the University at Main Campus and Satellite Campuses any institute of the University, Study Centres, Academic Centres and Colleges affiliated to the University. "Study Centres" means the Center of Learning - University Schools/ Colleges for formal/ Non formal education located with in or outside the state of Chhattisgarh in India and other countries. Non formal mode of education includes distance mode in respect of any or all courses offered by the University. "University" means the BLS University established under Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidhyalaya
			(Sthapana Aur Viniyiman) Adhiniyam 2002 (2 of 2002) as amended from time to time. "Vice Chancellor" means the Vice Chancellor of the University appointed within the meaning of Section 15 of the Act and Section 4 of these First Statutes. "Visitor" means the Visitor as defined under Section 13 of the Act.
	2.	(2)	Words and expressions used but not defined in these Statutes shall have the meanings assigned to them in the Act and the Rules.
The Chancellor (Section 14(4)(d) of the	3.	(1)	The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years

Adhiniyam			with the prior approval of the Visitor.The period being extendable by the sponsoring body
	3.	(2)	The Chancellor shall be head of the University.
Powers & Functions of Chancellor	3.	(3)	The Chancellor shall have the following powers as listed in Section 14(4) (a) to (d) of the Adhiniyam: (a) To call for any information or record; (b) To appoint the Vice-Chancellor (c) To remove the Vice Chancellor
	3.	(4)	In addition, the Chancellor shall also have the following powers: (a) To appoint the Registrar. (b) To remove the Registrar. (c) To appoint the Chief Finance & Accounts Officer. (d) To remove the Chief Finance and Accounts officer. (e) To constitute such committees as he deems necessary to help him in discharge of duties entrusted to him by or under the Adhiniyam.
The Vice Chancellor (Section 25 (1)(b) read with Section 15 (1) of the Adhiniyam	4.	(1)	The Vice Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University.
	4.	(2)	The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names
			recommended by the Governing Body for a term of four years and shall be eligible for reappointment for another term not exceeding 4 years. *Provided that he shall cease to hold the office on attaining the age of 67 years.* *Provided further that not withstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters the office but this period shall not in any case exceed six months.*
	4.	(3)	The Vice Chancellor shall receive salary as prescribed by the University Grants Commission, as approved by the Governing Body from time to time.

	4.	(4)	During the tenure of office the Vice Chancellor shall be entitled to have a rent free furnished accommodation maintained by the University.
	4.	(5)	The Vice Chancellor shall be entitled to use a University vehicle for official purposes. The Vice Chancellor shall also be eligible to use the University vehicle for private purposes and for such journeys he will be liable to pay such charges as are prescribed by Governing Body.
	4.	(6)	The Vice Chancellor shall be entitled to other benefits such medical allowance and leave travel concessions as admissible as per provision.
	4.	(7)	The Vice Chancellor shall be entitled to travelling allowance from place of his residence on his appointment as Vice Chancellor and after relinquishment of his charge.
Powers & Functions of Vice Chancellor	4.	(8)	The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.
	4.	(9)	The Vice Chancellor shall, with the prior approval of the Chancellor, have power to constitute such committees as he deems necessary to help him in the discharge of the duties entrusted to him by or under the Adhiniyam.
	4.	(10)	The Vice Chancellor shall have power to sanction an allowance to any employee of the University for any special duty assigned to such employee for additional duties performed by him, which in the opinion of Vice Chancellor warrants such payment, subject to the approval of the Governing Body. *Provided that such allowance shall not exceed 10% of the basic salary of such employee.* *Provided also that the period of such allowances shall not exceed six months*

			Provided further that any action taken under this clause of Statute shall be reported to the Governing Body at its next meeting.
	4.	(11)	The Vice Chancellor shall exercise such other powers as may be given to him / her by the Chancellor and the Governing Body from time to time.
	4.	(12)	Subject to the control of the Chancellor and the Governing Body, the Vice Chancellor shall exercise such financial powers as laid down in the financial regulations approved by the Governing Body.
	4.	(13)	If the office of the Vice Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other reason, the senior most Dean shall perform the duties of the Vice Chancellor, until the new Vice Chancellor assumes office or until the existing Vice Chancellor resumes the duties of his office, as the case may be.
	4	(14)	The Vice Chancellor shall be Ex Officio Chairman of the Board of Management, the Academic Council, the Planning Board, the Board of Affiliation, The School of Studies and the Finance Committee.
	4	(15)	It shall be the duty of the Vice Chancellor to see that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance.
	4	(16)	The Vice Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Board of Management, the Academic Council, the Planning Board, the Board of Affiliation and the Finance Committee and other committees, if any.
	4.	(17)	The Vice Chancellor shall have the power to make short term appointments, with the approval of the Governing Body for a period not exceeding six months, of such persons as he may consider necessary for the functioning of the University.
Dean (Section 18 of the Adhiniyam)	5.	(1)	There shall be a Dean of each faculty in which the University is imparting education. Dean will corordinate all the academic activity of the faculty.

	5.	(2)	The Dean shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of Vice Chancellor from amongst the Professors of the University. *Provided that if there is no professor in the University Teaching Department, the Vice Chancellor or a Dean authorised by the Vice Chancellor in this behalf, shall exercise powers of the Dean.*
	5.	(3)	The term of Dean shall be for a period of three years from the date of appointment and he shall be eligible for reappointment. *Provided that a Dean on attaining the age of 62 years shall cease to hold office as such.*
	5.	(4)	The Dean shall preside over the meeting of faculty and shall give opinion on the recognition of programs as and when referred as the programs of other Universities recognised by the Association of Indian Universities (AIU).
	5.	(5)	The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Board of Studies or a committee of the Department but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.
	5.	(7)	The Dean shall perform such other duties as may be assigned to him from time to time by the Board of Management and Academic Council.
The Registrar (Section 25 (a) read with Section 16 (1) of the Adhiniyam	6.	(1)	The Registrar shall receive salary as prescribed by the University Grants Commission, as approved by the Governing Body from time to time. He shall draw allowances as fixed by the Governing Body from time to time.
	6.	(2)	No person shall be eligible for appointment as Registrar unless he / she possesses the minimum qualification as applicable for the post and is determined by the Governing Body from time to time.
	6.	(3)	The Registrar shall be a full time salaried officer of the University.

	6.	(4)	The Registrar shall be entitled to leave, leave salary allowances and other benefits as may be prescribed by the University. The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the selection Committee for a term of 4 years. The selection Committee will consist of the following person : (a) Chancellor- Chairman (b) Vice Chancellor – Member (c) One nominee of Governing body – Member (d) One expert recommended by governing Body- Member *Provided also that he / she shall cease to hold the office on attaining the age of 62 or as prescribed by the Governing Body from to time.*
Powers & Functions of Registrar	6.	(5)	It shall be the duty of the Registrar:- (a) To be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University as the Governing Body may commit to his charge; (b) Issue notices and convene meetings of that authority and the committees appointed by it; (c) Keep the minutes of the meetings of that authority and the committees appointed by it; (d) Conduct the official proceedings and correspondence; and (e) Supply to the Chancellor a copy each of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as it is issued and the minutes .
	6.	(6)	The Registrar shall act in one or more of the following capacities: (a) Secretary to the Governing Body (b) Secretary to the Board of Management (c) Secretary to the Academic Council (d) Secretary to the Planning Board (e) Secretary to the Board of Affiliation. (f) Finance Committee
	6.	(7)	To arrange for an superintend the examinations of the University.
	6.	(8)	To send to the Chancellor (a) Copies of the agenda of the meeting of Governing Body, Board of Management and Academic Council as soon as such

			agenda is issued. (b) The minutes of the meeting of the authorities mentioned in 6 (6) above. (c) Such above papers and informations as the Visitor and Chancellor may direct him to supply.
	6.	(9)	To exercise all such powers as may be necessary or expedient to carry out the orders of the Chancellor, Vice Chancellor and the Governing Body of the University and the various authorities, bodies and committees.
	6.	(10)	To discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by the Chancellor, the Governing Body and Vice Chancellor.
	6.	(11)	To perform such other duties as may from time to time, be entrusted to him by the Statutes, Ordinances, Regulations and Resolutions of Authorities; and
	6.	(12)	To render such assistance as may be desired by the Chancellor and Vice Chancellor in the performance of his official duties.
	6.	(13)	Subject to the approval of Governing Body the Registrar shall have powers to appoint class III and IV employees of the University on contract basis and shall take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers, as maybe specified by the Board of Management by order made in this behalf.
	6.	(14)	The Registrar shall explain the agenda if desired by the Chairman of any Authority, body or Committee, speak at its meeting.
	6.	(15)	The Registrar may be designated by the Chancellor to represent the University in suits, proceedings, by or against the University, sign powers of attorney, verify pleadings and depute his representative for the purpose.
Chief Finance & Accounts Officer (Section 17 of the Adhiniyam)	7.	(1)	The Chief Finance & Accounts officer shall be appointed in conformity with the qualifications and experience as prescribed by the Governing Body for the post.
	7.	(2)	The Chief Finance & Accounts Officer shall receive salary as prescribed by the University Grants Commission as approved

			by the Governing Body plus allowances as prescribed by the Governing Body from time to time.
	7.	(3)	The Chief Finance & Accounts Officer shall be entitled to leave, leave salary, allowance and other benefits as may be prescribed by the University as per provisions.
	7.	(4)	The Chief Finance & Accounts officer shall be full time salaried officer of the University.
	7.	(5)	The Chief Finance & Accounts officer shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the recommendation of the Chancellor for a term of 4 years from amongst the applicants responding to the advertisement of the University made for the purpose in a Daily. *Provided also that he / she cease to hold the office on attaining the age of 62 or as decided by the Governing Body from time to time.*
Powers & Functions	7	(6)	Subject to the control of Chancellor it shall be duty of the Chief Finance and Accounts officer : (a) To hold and manage the property and investments of the University including trusts and endowed property. (b) To ensure that the limits to fixed by the Governing Body for recurring and non recurring expenditure for the year are not exceeded and that all monies are spent for the purpose for which they are granted or allocated. To keep a constant watch on the state of cash and bank balances and on the state of investments.
	7.	(7)	Subject to the control of the Chancellor, the Chief Finance & Accounts officer shall:- (a) Collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University and to see that all monies are utilised for the purpose they are collected / granted / donated; (b) Be responsible for the preparation of annual accounts and budget of the University; (c) Have the accounts of the University regularly audited;

			(d) Ensure that the registers of buildings, land' furniture, equipments, vehicles etc. are maintained up-to-date and the stock checking is conducted in all offices and institutions maintained by the University.
			(e) Suggest appropriate action against persons responsible for unauthorised expenditure and for other financial irregulatities.
	7.	(8)	The Chief Finance & Accounts officer shall have the power to call from any office or institution of the University any information or returns that he may consider necessary for due performance of his duties.
	7.	(9)	The Chief Finance & Accounts officer shall bring to the notice of the Chancellor any unauthorised expenditure or any other financial irregularly and suggest appropriate action against persons at fault.
	7.	(10)	Subject to the control of the Chancellor and the Governing Body, the Chief Finance & Accounts officer shall have financial powers including the borrowing of loans for the University and execution of the contracts on behalf of the University.
The Librarian (Section 18 of the Adhiniyam)	8.	(1)	The Librarian shall be a whole time salaried officer appointed by the Governing Body on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose, and shall possess such qualifications and exercise such powers and perform such duties, as may be determined by the Governing Body.
Other Officers of the University (Section 18 of the Adhiniyam)	9.	(1)	In addition to the officers mentioned in Section 12(1) to (5) of the Adhiniyam and other statutes of the University following shall be the officers of the University. (a) Director (b) Librarian (c) Director Physical Education (d) Deputy Registrar (e) University Engineer / Estate Officer (f) Assistant Registrars.
	9.	(2)	The University may have one or more posts of any category mentioned above as per needs and approval by the Governing Body.

	9.	(3)	The qualifications / eligibility for each officer shall be determined by the Governing Body.
	9.	(4)	These Officers shall be on terms and conditions as prescribed by the Governing Body of the University.
	9.	(5)	The Officers shall draw salary as prescribed by the University Grants Commission as approved by the Governing Body.
	9.	(6)	The Governing Body shall prescribe the qualifications and eligibility conditions for each category of officers and shall appoint committees for selection.
	9.	(7)	No person shall be appointed to these posts unless they possess the qualifications laid down for the similar post by the UGC and approved by Governing Body.
Terms & Conditions	9.	(8)	The Governing Body shall appoint a Committee of Selection which shall interview the candidates and prepare a panel of suitable candidates in order of merit.
	9.	(9)	The Governing Body shall make the appointment from the panel given by Committee of selection.
	9.	(10)	The officer appointed shall execute a contract and follow the statutes, ordinance and regulations of the University.
	9.	(11)	The officers shall be entitled to the leave, allowances and other benefits prescribed by the University for its employees from time to time.
	9.	(12)	The powers and duties of the officers shall be such as the Governing Body may determine from time to time.
Authorities of the University (Section 19 of the Adhiniyam)	10	(1)	♦ The Governing Body ♦ The Board of Management ♦ The Academic Council ♦ The Planning Board ♦ The Board of Affiliation
			♦ The School of Studies ♦ The Finance Committee ♦ And any other Body which may be constituted by the Governing Body.

The Governing Body (Section 20 of the Adhiniyam)	11.	(1)	The Governing Body shall be the supreme authority of the University.
Constitution of the Governing Body	11.	(2)	The Governing Body shall consist of the following members:- (a) The Chancellor (b) The Vice Chancellor (c) Three persons nominated by the Sponsoring Body. (d) One representative of the State Government. (e) One educationist of repute to be nominated by the Government. (f) One academician to be nominated by the Visitor.
Terms of the Governing Body	11.	(3)	The Members of the Governing Body shall have a term of 3 years.
Disqualifications of the Members of the Governing Body	11.	(4)	The Member of the Governing Body shall cease to be the member under the following circumstances:- (a) if the member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and so stay order has been passed by the Higher Court against conviction. (b) If the act and conduct of a member is detrimental to the interest of the University, the Sponsoring Body shall have the powers to replace or recall any such member in approval with the nominating authority.
Powers & Functions	11.	(5)	The Governing Body shall have the following powers:- (a) To appoint Director, to coordinate the functions and activities of the Schools, Colleges and Study Centres and to manage the affairs of the University in the absence of the Vice Chancellor. (b) To appoint all Deans /Administrator. (c) To appoint Auditor of the University. (d) To oversee the performance and review the decisions of other authorities of the University to ensure they are in conformity with the Act, Statutes, Ordinances and rules (e) To approve the Budget, the Annual Report and Accounts of the University.

			(f) To lay down the policies of the University. (g) To take decision about the voluntary liquidation of the University. (h) To delegate such powers as it may deem fit to the Board of Management and other authorities or officers of the University. (i) To make appointments of such professors, readers, lecturers, other teaches and such academic staff as may be necessary, on the recommendations of the selection committees constituted for the purpose. (j) To make appointments to temporary vacancies of any academic staff; (k) To specify the manner of appointment to temporary vacancies of any academic staff; (l) To provide for the appointment of visiting professors, artistes and writers and determine the terms and conditions of such appointment; (m) In the purchase of immovable property in India with the like power of varying such investment from time to time: (n) to fix the remuneration payable to examiners and invigilators and traveling and other allowances payable after consulting the Finance Committee; (o) to select a common seal for the University and to provide for the use of such seal;
			(p) to delegate any of its powers to the Vice Chancellor, Registrars, the Controller of Finance or any other officer, employee or authority of the University, or to a committee appointed by it;
	11.	(6)	The Governing Body shall perform such other functions and have such other powers as are not otherwise provided for by the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations and are necessary for proper functioning and administration of the University and for fulfillment of the objects of the University.

	11.	(7)	The decisions taken by the Governing Body and implemented by the employees shall be final and binding.
Meeting of the Governing Body	11.	(8)	The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year, on any working day, at the headquarters of the University or any other locations as agreed to by majority of the members.
	11.	(9)	The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and shall preside over the meetings of the Governing Body. In the absence of the Chancellor, the Vice Chancellor shall preside over the meeting.
	11.	(10)	A notice of 15 days shall be given to the members stating the agenda of the meeting. A notice of less than 07 days may be considered sufficient if majority of the members agree to such a shorter notice.
	11.	(11)	The quorum of the meeting shall be 5 members present in person.
	11.	(12)	Each member of the Governing Body including the presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be adopted by simple majority. In case of a tie, the preceding officer shall cast the deciding vote.
	11.	(13)	The Presiding office of the meeting shall cause the minutes of the meeting to be recorded and circulated to the members within a period of one month from the date of such a meeting.
Extra Ordinary Meeting of the Governing Body	11.	(14)	In the event of exigency and / or in the interest of the administration of University, in consultation with the Chancellor, the Vice Chancellor may call for an extraordinary meeting of the Governing Body circulating a resolution amongst the members.
	11.	(15)	The Chancellor or the Vice Chancellor may, under exigencies, obtain the consent of the Governing Body by circulating appropriate resolution among its members any such resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Governing Body.

The Board of Management (Section 21 of the Adhiniyam)	12	(1)	The Board of Management shall, subject to the concurrence of the Governing Body have the power of management and administrations of the University and the conduct of all administrative affairs of the University.
	12.	(2)	The Board of Management shall consist of the following members, namely:- (a) Vice Chancellor (b) One representative to be nominated the State Government; (c) Two representatives to be nominated by the Sponsoring Body; (d) Senior most Professor of the University.
	12.	(3)	The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Board of Management and shall preside over the meetings.
	12.	(4)	Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Board of Management shall, in addition to the powers vested in it by and under the Statutes, have the following powers, namely:-
			(a) Subject to the approval of the governing body, to create teaching and other academic posts and to define the functions and conditions of service of the professors, readers, lecturers, other teachers and the academic staff employed by the University after taking into consideration the recommendations of the Academic Council; (b) to prescribe qualifications and other conditions of eligibility for teachers and other academic staff after taking into account the recommendations of the Academic Council; (c) Subject to the approval of the governing body, to create administrative, ministerial and other necessary posts after taking into account the recommendations of the Finance Committee; (d) to regulate and enforce discipline amongst the employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;

			(e) to transfer or accept transfers of any immovable or movable property on behalf of the University; (f) to entertain, adjudicate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved; (g) to institute fellowships, scholorships and studentships; (h) to exercise any such other functions as may be conferred or imposed on it by the Governing Body.
The Academic Council (Section 22 of the Adhiniyam)	13.	(1)	The Academic Council shall consist of the following members, namely:- (i) Vice-Chancellor (ii) Two Deans to be nominated by the chancellor. (iii) Three Principals of colleges by roatation in terms of seniority by the date of joining. (iv) Director – If any (v) Librarian (vi) Not more than three persons from amongst the recognized teachers and/or the University teachers to be nominated by the Vice-Chancellor. (vii) Not more than five persons, who are not employees of the University, colleges or institutions, nominated by the Chancellor for their special knowledge including representatives of organizations, industries, trade and commerce, academic and professional organizations, and communication fields.
	13.	(2)	The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council and shall preside over the meetings.

	13	(3)	Subject to the relevant provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it by or under the Statutes, have the following powers, namely:- (a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, evaluation or research or improvement in academic standards; (b) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference from the Planning Board or a school of studies or the Board of Management or the Governing Body and to take appropriate action thereon; and (c) to frame such regulations as are consistent with the statutes and the ordinances regarding the academic functioning of the University, including discipline, admissions, Award of fellowships and studentships, fees and other academic requirements.
	13.	(4)	The Academic Council shall meet at such intervals as it deemed expedient but shall meet at least twice in a year.
	13.	(5)	The members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years from the date of their appointment or co-option, as the case may be.
	13.	(6)	One third members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting.
The Planning Board (Section 23 of the Adhiniyam)	14	(1)	The Planning Board shall consist of the Vice-Chancellor and not more than nine members to be nominated by the Governing Body.
	14.	(2)	All the members of the Planning Board, other than the Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years.

	14.	(3)	The Planning Board shall design and formulate appropriate plans for development and expansion of the University, and it shall, in addition, advise the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council on any matter which it may deem necessary for the fulfillment of the objects of the University .
	14.	(4)	The Planning Board may constitute such committees as may be necessary for planning and monitoring the programmes of the University.
	14.	(5)	The Planning Board shall meet at such intervals as it deems expedient, but it shall meet at least twice in a year.
The Board of Affiliation (Section 23 of the Adhiniyam)	15.	(1)	The Board of Affiliation shall consist of the Vice Chancellor and not more than seven members to be nominated by the Governing Body.
	15.	(2)	A member of the Board of Affiliation other than the Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he becomes a member of the Board.
	15.	(3)	Four members of the Board of Affiliation shall form a quorum for a meeting of the Board.
	15.	(4)	The procedure for considering proposals for affiliation shall be such as specified in the Ordinances.
The School of Studies (Section 23 of the Adhiniyam)	16.	(1)	The University shall have such schools of studies as may be specified in the Ordinances.
	16.	(2)	The composition and functions of the schools of studies and other related matters shall be such as are specified in the Ordinances.
The Finance Committee (Section 23 of the Adhiniyam)	17.	(1)	The Finance Committee shall consist of the following:- (i) The Vice-Chancellor

			(ii) One person to be appointed by the Governing Body from its member other than an employee of the University, college or institution. (iii) Two persons to be nominated by the Chancellor.
	17.	(2)	The Chief Finance & Accounts officer shall be the ex-officio non-member Secretary of the Finance Committee.
	17.	(3)	A member of the Finance Committee, other than the Vice-chancellor, shall hold office for a term of three years from the date on which he becomes a member of the Committee.
	17.	(4)	Four member of the Finance Committee shall from a Quorum for a meeting of the Committee.
	17.	(5)	The Finance Committee shall meet at least thrice a year to examine the accounts and scrutinize the expenditure statement prepared by the Controller of Finance.
	17.	(6)	All proposals relating to revision of grades, upgradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are put up for consideration by the board of management and subsequent approval by the Governing Body.
	17.	(7)	The annual accounts and the financial estimates of University prepared by the Controller of Finance shall be laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Governing Body within the overall ceiling fixed by the Committee.
	17.	(8)	The Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based in income and resources of the University in expenditure shall be incurred by the
			university in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee.

Other Authorities (Section 23 & 25(1)(a) of the Adhiniyam)	18 (A)	(1)	Any authority of the University may, with the prior approval of the Governing Body, appoint as many standing or special committees as it may deem fit and may appoint on such committees such persons as are not members of such authority. Any committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it and before taking action if any, shall seek confirmation of it from the authority appointing it.
Terms and conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the University (Section 25 (1)(d) of the Adhiniyam)	19.	(1)	Every teacher and member of the Academic staff shall be appointed on a written contract on the recommendation of the selection committee. The Selection/Committee will consist of the following persons : (a) Chancellor – Chairman (b) Vice-Chancellor – Member (c) One Nominee of Governing body-Member (d) One expert recommended by Governing Body – Member.
	19.	(2)	All the teachers and other academic staff of the University shall, be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the Statutes, the Ordinances and the Regulations.
	19.	(3)	A copy of every contract referred to in clause (1) shall be deposited with the Registrar.
Terms and condition of service and code of conduct for other employees of the University. (Section 25 (1)(e) of the Adhiniyam)	20.	(1)	Every employee shall be appointed on a written contract on the recommendation of the selection Committee constituted by the Chancellor.
	20.	(2)	All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and

			conditions of service and the code of the code of conduct as specified in the Statutes; the Ordinances and the Regulations.
Suspension, Penalty and Disciplinary Authority	21.	(1)	The appointing authority may by an order place an employee, under suspension When disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending or on confirmation of a prime facie case against an employee on the charges of financial irregularities and / or unethical activities detrimental to the interest of the University or where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial. An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority as may be prescribed for each post. With the effect from the date of his detention, if in the detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours. With effect from the date of his conviction, if he is event of a conviction for an offence, he is sentenced to imprisonment and is not forthwith dismissed or removed or compulsory retired consequent to such conviction. An order of suspension made or deemed to have been made shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the appointing authority.
	21.	(2)	The services of a University employee permanent or on contractual basis may be terminated on any of the following grounds:- (a) Willful neglect of duty (b) Misconduct / Indiscipline (c) Physical and mental unfitness (d) On the abolition of post held by him. (e) Conviction by a court of law for an offence involving moral turpitude.
	21.	(3)	(1) The appointing authority may for good and sufficient reasons, impose on an employee the following penalties; (a) Censure (b) Recovery from his pay, whole on part of

			any pecuniary loss caused to the University by negligence or breach of order by the employee. (c) With holding the increments of pay. (d) Reduction to lower time scale of pay, grade or post. (e) Compulsory retirement. (f) Removal from service. (g) Dismissal from service, (2) The appointing authority may institute the disciplinary proceeding against the employee in accordance with the prescribed procedure as laid down by the Governing Body.
	21.	(4)	Where the penalty is imposed by the Registrar the employee may prefer an appeal to Vice Chancellor within thirty days from the date on which order is served on the employee.
Miscellaneous	22.	(1)	Every employee shall at all times: (a) Maintain absolute integrity (b) Show devotion to duty and (c) Do nothing which is unbecoming of an employee of the University
	22.	(2)	No employee shall join or continue to be member of such association the objects and activities of which are prejudicial to the interest of the University or public order, decency or morality.
	22.	(3)	No employee shall: (a) Participate in public protests/ Dharna/ Hartal/ Demonstration prejudicial to the interest of University. (b) Resort to any violence. (c) Participate in editing management of any print or electronics media without prior sanction of the University. (d)Divulge in any matter of the University any where other than the competent authority.
			(e)Take any employment elsewhere either full time or part time without prior sanction from the University.

	22.	(4)	Any infringement of para 19 and 21 of this Statute shall be regard as subversive of good discipline and misconduct and will justify the initiation of disciplinary action against such employee.
	22.	(5)	The employees shall have a contributory provident fund as prescribed in the contributory provident fund act as amended from time to time.
	22.	(6)	The scales of pay of different categories of employees shall be such as may be prescribed by the UGC and approved by the State Government applicable to the employees of the University established by the State Government.
Arbitration to resolve disputes (Section 25(1)(f) of the Adhiniyam)	23.	(1)	In the event of dispute arising between the employee and the employer, on the request of the employee the Chancellor shall appoint an Arbitrator.
	23.	(2)	The Governing Body shall consider the award to take appropiate action to resolve the Dispute.
	23	(3)	If employee (He or She) is not satisfied with the award they can approach the Chancellor for hearing whose decision shall be final and binding.
	23.	(4)	The disputes regarding constitutions of authorities/bodies or nomination of any member in the authorities/bodies provided for by or under the act/statute/ordinance shall be decided by the Chancellor in the manner he deems fit and his decision shall be final.
Hononary Degree (Section 25(1)(g) of the Adhiniyam)	24.	(1)	A proposal for conferment of Honorary degree shall be made by Academic Council.
	24.	(2)	The proposal shall be placed before a Committee comprising of the Vice Chancellor one eminent educationist not connected with the University and one educationist nominated by the Visitor.

	24.	(3)	If the Committee unanimously recommends that a honorary degree be conferred on the person on the ground that he is in its opinion a fit and a proper person to receive such degree, its recommendation shall be placed before Governing Body and approval of the Chancellor be sought thereafter. The Visitor be informed.
	24.	(4)	The honorary degree shall be conferred on the person either at a regular convocation as prescribed in regulations or at a special convocation to be held for the purpose as may be decided by the Governing Body.
Exemption from tuition fee and award of scholorship (Section 25 (1) (h) of the Adhiniyam)	25.	(1)	The assistance obtained from the Central Government, State Government or any other authority, funding agency etc. towards meeting full or in part any amount towards fee otherwise payable by students belonging to socially disadvantaged or economically weaker sections shall be disbursed strictly as per directions of the authorities providing such assistance.
	25.	(2)	It shall be the duty of the Registrar and the Chief Finance and Accounts officer of the University to ensure that the students get the stipend exactly as per the directions of the funding agency.
	25.	(3)	The University will also make provisions for the award of fellowships, scholorships and stipends from its own sources. The terms and conditions of the award shall be laid down in the ordinance made under Section 27(1) (d) of the Adhiniyam.
Policy of Admission including Reservation of seats (Section 25(1) (i) of the Adhiniyam	26.	(1)	The admission to various programs shall be made strictly in order of merit in accordance with the admission policy recommended by the academic council and Board of Management and approved by the Governing Body.
Provisions regarding fee to be charged from the students (Section 25(1)(j) of the Adhiniyam)	27.	(1)	The fee for each Program of study shall be as prescribed. This be worked out by a committee comprising of experts from academic council, Finance committee and recommended by the Board of Management and approved by the Governing Body.

	27.	(2)	Enrolment fee, Development fee, examination fee etc. shall be payable as prescribed by the Board of Management.
Provisions regarding number of seats in each course (Section 25(1) (k) of the Adhiniyam)	28.	(1)	The University shall decide the capacity for each program / centre after evaluating its infrastructural facilities and strength of faculty.
	28.	(2)	The Academic council shall lay down the norms, having details regarding infrastructural facilities and required strengh for each course and place it before the Board of Management on being approved by a, it shall be strictly be followed for deciding the seats in each program at each centre.
Establishment of study centers of the University (Section 3(7) of the Adhiniyam)	29.	(1)	The University shall establish University Study Centers as defined in Section 3(7) of the Adhiniyam.
	29.	(2)	The University Study Center shall be established by the Governing Body as prescribed .
	29.	(3)	The University Study Center shall have academic infrastructure, laboratory, library teaching staff and all such other facilities may be required for imparting education in the course of studies / subjects concerned.
	29.	(4)	The University/ University Study Center shall collect the fee from each student for the course of study for which the student is registered with the University from time to time.
	29.	(5)	The University examination of the candidates studying at the University Study Center shall be held at the place decided by the University.
Admission of College to the Privilege of the University / Affiliation (Section 6(2) of the Adhiniyam)	30.	(1)	The University may admit/affiliate colleges to the privileges of the University on the recommendation of the Board of Affiliation.
	30.	(2)	The affiliation will be granted by the Governing Body to such Institutions / Colleges which are providing regular course of studies for the courses in the faculties of the University with prior permission of such other statutory bodies of which permission is required to run such courses of studies viz. AICTE, NCTE, INC, MCI, DCI, PCI and ICAFRA etc.

	30.	(3)	The Institutions / Colleges shall be granted affiliation only after an inspection by a committee appointed by the University.
	30.	(4)	The Institutions / Affiliated Colleges shall have staff laboratory and the facilities as are required for running the course of studies and shall abide by the conditions as may be laid down by the Governing Body from time to time.
	30.	(5)	The teachers of the affiliated Institutions / Colleges shall have the same qualification and pay scale prescribed by the UGC and as is applicable to the Government Colleges and as may be approved from time to time by Governing Body of the University.
	30.	(6)	The affiliated colleges shall follow the code laid down by the Governing Body of the University.
	30.	(7)	The Institution / Colleges for the 1st year for 3/5 (3+2) years degree course or for 1st year (previous) of a P.G. Course as temporary affiliation and the colleges shall be required to apply a fresh for affiliation to II year and III year for the course of study as the course may require.
	30.	(8)	The Institutions / Colleges affiliated to the University shall abide by the "College Code" which may be prescribed by a Statute to be framed by the Governing Body.
Recognised Teachers	31.	(1)	The qualifications and other conditions of eligibility for recognition of teachers working in a college or an institution shall be such as are prescribed by the Ordinances.
	31.	(2)	All cases of recognition of teachers in a college or an institution shall be dealt with and approved by the selection committees as constituted under Clause 10(2)(i) of Statute.
University to be open to all classes, Classes, Castes and Creed (Section 11 of the Adhiniyam)	32.	(1)	The University shall be open to all persons irrespective of sex, caste, creed, religion race, or class or place of domicile or Nationality and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a Teacher of the University to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof

	32.	(2)	Notwithstanding anything contained in clause 9(a), the University shall make special provisions in the Regulations for the employment or profession of educational interests of women, persons with disability or persons belonging to the weaker sections of the Society and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward classes as may be directed by the State Government from time to time.
Subsequent Statutes (Section 26 (2) of the Adhiniyam)	33.	(1)	The Board of Management may make, amend, alter, modify these First Statutes and the Ordinances as required for the administration of the University with the approval of the Governing Body and submit the same to the Government for approval.
Ordinances (Section 27 of the Adhiniyam)	34.	(1)	The Vice Chancellor of the University shall cause the Ordinances of the University to be made as per the provisions of Section 27 of the Act, and shall submit the same to the Government for its approval.
Subsequent Ordinances (Section 28 (1) of the Adhiniyam)	35	(1)	The Academic Council with the approval of the Board of Management shall make all other ordinances other than the First Ordinance.
Interpretation			
	36.	(1)	The decision of the Governing Body on interpretation of the Statute, Ordinances and regulations shall be final and binding.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-73-39/03/उ. शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 (3) के अधीन एम. एन. आर. एण्ड ए. एस. आर. के. यूनिवर्सिटी, रायपुर के कुलपतिं द्वारा धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत अध्यादेशों को सहमति प्रदान करती है तथा छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 की उपधारा (4) द्वारा 12 (बारह) ''प्रथम अध्यादेशों'' को अनुमोदित करती है.

ये अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

रायपुर (छ.ग.)

Established Under Section 5 of the Chattisgarh Niji Kshetra Viswavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002. Vide Notification No. 1405-F-73 39/2003/HE/38. Dated 25-03-03 of the Government of Chattisgarh.

FIRST ORDINANCES

In accordance with the provision under Section 27 of the Chattisgarh Niji Kshetra Viswavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002, the following First Ordinances are made:

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT.**

   a) These ordinances shall, here-in-after, be called the First Ordinances of the MNR & ASRK UNIVERSITY 2003.

   b) The First Ordinances shall come in to force from the date of publication of the First Ordinances by the Government of Chattisgarh in the official Gazette.

2. **ADMISSION AND ENROLMENT OF STUDENTS TO THE COURSES OF THE UNIVERSITY.**

   a) No person shall be excluded from admission to any Degree, Diploma, or other Distinctions or enrolment to any course of study of the University on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth/residence or any of them, and shall be imposed any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him/her to be admitted as a student to qualify for any degree, diploma or other distinction of the University: provided that,

      i) The University may maintain, affiliate or recognize any College/Institution, intended exclusively for women, either for their education, or for their residence.

      ii) The University may reserve seats in any University College for women or members of educationally back-ward classes.

   b) i) For admission to Under Graduate non-Professional courses (including B.Com) shall be made on the basis of merit of the qualifying examination, age and other criteria of reservations etc.

      ii) Admission to all professional (except B.Com) and non-professional Post-Graduate Courses, a common Entrance Examination will be conducted and weight age of 50% marks shall be taken from qualifying examinations. As per the average of entrance examination marks and weightage marks, a merit list shall be prepared and then admissions shall be made by following the criteria for reservations as per the standard norms of the State Government.

      iii) Admission to Ph.D Course in all faculties shall be made subject to the following conditions.

Candidate must have a Master's Degree in the Concerned or in allied subject with a minimum of 55% marks (in case of SC. & ST Candidates it shall be 50%) in aggregate. In case of faculties of Engineering, Informatics, Technology and Medicine a candidate must have obtained a Master's Degree in the concerned subject or in an allied discipline and should have obtained atleast 55% of marks in aggregate (for S.C. & S.T Candidates it shall be 50%) both at BE/BTech/MBBS and ME/MTech/MS/MD level.

In addition the candidate must have had;

2). Qualified at the Ph.D Eligibility Test conducted by the MNR & ASRK University with a minimum of 50% of marks (in case of SC & ST Candidates it shall be 40%)

(OR)

An M Phil Degree in the concerned or allied subject (s)

(OR)

Qualified for the U.G.C. Junior Research Fellowship (JRF/SRF/CSIR);

(OR)

Qualified at the U.G.C. National Eligibility Test (NET);

(OR)

Qualified at the State Level Eligibility Test (SLET) Conducted by the Government of Chattisgarh

iv) Admission shall not be granted to a person in to more than one course of study simultaneously. However there shall be a provision for admission to Dual Post Graduate Degree like BITS, Pilani.

<u>THE COURSES OF STUDY FOR ALL THE DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY</u> :

a) The University shall offer the following courses of study for the award of the Degrees, Diplomas and Certificates of the University.

Faculty/Course	Duration
Faculty of Arts	
Bachelor of Arts (B.A.) in History, Political Science, Public Administration, Economics, Political Science, Public Administration Sociology Mathematics.	3 Years
Bachelor of Library and Information Science (BLISC)	1 Year
Bachelor of Journalism (B.J)	1 Year
Master of Arts (M.A) in History Political Science	2 Years

Public Administration
Economics
Geography
Sociology
English
Hindi
Sanskrit
Marathi
Telugu

Master of Library and Information Science (MLISC)	1 Year
Master of Journalism (M.J)	1 Year

Doctor of Philosophy (Ph. D)

Faculty of Commerce & Management

Bachelor of Commerce (B.Com) (Computers)	3 Years
Master of Commerce (M.Com)	2 Years
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)	3 Years
Master of Business Administration (M.B.A.)	2 Years

DIPLOMA COURSES (ONE YEAR)

Diploma In Business Management
Diploma in Marketing Management
Diploma in Material Management
Diploma in Production Management
Diploma in Quality Management
Diploma in Office Management
PG Diploma in E. Commerce

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Faculty of Science

Bachelor of Science (B.Sc.) in — 3 Years

Mathematics, Physics, Chemistry
Mathematics, Physics, Computer Science
Mathematics, Statistics, Computer Science
Mathematics, Electronics, Computer Science
Mathematics, Physics, Electronics
Mathematics, Chemistry, Computer Science
Botany, Zoology, Chemistry
Microbiology, Genetics, Chemistry
Microbiology, Biotechnology, Chemistry.

Master of Science (M.Sc.) in	2 Years
Mathematics (Applied / pure)	
Physics	
Electronics	
Statistics (Applied / pure)	
Bio - Chemistry	
Botany	
Zoology	
Computer Science	
Environmental Science	
M.Sc. Bio-Technology with the following Special branches.	2 Years
Animal and plant Bio Technology	
Tissue Culture	
Animal cell culture	
Environment Bio-Technology	
Food Bio Technology	
Pharmacy Bio- Technology	
M.Sc. Bio-Informatics with the following specialisations.	2 Years
Genomics	
Proteomics	
Cell and Molecular Biology	
Computer application.	
M.Sc. Microbiology with the following specialisations.	2 Years
Industrial Microbiology	
Ironmunology	
Molecular Biology	
Applied Microbiology	
M.Sc. Genetics with the following specialisations.	2 Years
Human Genetics	
Plant Genetics	
Plant Bio Technology	
Doctor of Philosophy (Ph.D.)	
Faculty of Education	
Bachelor of Education (B. Ed.)	1 Year
Master of Education (M.Ed.)	1 Year
Faculty of Law	
Bachelor of Laws (LLB)	3 Years
Master of Laws (LLM)	2 Years
Faculty of Engineering Technology	
Bachelor of Engineering /Technology (BE./B.Tech.) in	4 Years
Computer Science	

Electronics, Computers, Electrical
Electronics, Instrumentation, Electrical
Civil
Mechanical
Automobile
Production
Instrumentation
Metallurgy
Chemical
Textile

Master of Engineering / Technology (M.E / M. Tech.)	2 Years

Computer Science
Electronics
Electrical
Mechanical
Instrumentation
Civil
Chemical
Textile

Bachelor of Computer Applications (B.C.A.)	3 Years
Master of Computer Applications (M.C.A.)	3 Years

Faculty of Medicine

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)	4 $^{1}/_{2}$ Years
Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)	4 $^{1}/_{2}$ Years
Master of Dental Surgery (M.D.S)	3 Years
Master of Surgery (M.S.)in,	3 Years

General Surgery
Ophthalmology
Obstetrics & Gynaecology
Orthopaedic Surgery

Doctor of Medicine (M.D.) in.	3 Years

Anaesthesiology
Anatomy
Bio - Chemistry
Community Medicine
Dermatology. Venereology & Leprosy
Forensic Medicine
General Medicine
Microbiology
Paediatrics
Pathology
Pharmacology

Psychiatry
Radio Diagnosis

ALLIED MEDICAL COURSES (THREE YEARS)

M.Sc. (Medical)	Anatomy
M.Sc. (Medical)	Physiology
M.Sc. (Medical)	Bio-Chemistry
M.Sc. (Medical)	Microbiology

PARA MEDICAL CORUSES

Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)	4½ Years
Bachelor of Medical Laboratory Technology	3 Years
Bachelor of Occupational Therapy	3 Years
Bachelor of Respiratory Therapy Technology	3 Years
Bachelor of Health Information Administration	3 Years
Bachelor of Medical Imaging Technology	3 Years
Bachelor of Speech, Language & Hearing	3 Years
B.Sc. Degree Course in Nursing	4 Years
Master of Physiotherapy (M.P.T)	2 Years

CERTIFICATE COURSES (MEDICAL) (ONE YEAR)

Diploma in Medical laboratory technology (Lab. Asst.)
Diploma in Medical laboratory technology (Lab. Tech)
Certificate of Blood Bank Technician Course
Certificate of Radiographic Assistant Course
Certificate of Dark Room Assistant Course
Diploma in Medical Imaging
Certificate of ECG Technician Training Course
Certificate of Cardiology Technician Training Course
Certificate of Anaesthesia Training Course
Diploma in Audio Metric Technician Training Course
Diploma in Ophthalmic Assistant Course
Diploma in Optometrist Course
Dialysis Technician Course
Diploma in Dental Hygienist Course
Diploma in Dental Technician Course
Diploma in Cath Lab Technician Training Course

PHARAMACEUTICAL COURSES

B. Pharam	4 Years
M. Pharam	2 Years
Ph. D.	

FUTURE COURSES

As per the need of the future some more courses will be offered with due approval.

b) The Academic council of the University, shall, with the approval of the Board of Management of the University, Prepare the detailed syllabus for all the courses of study of the University.

4. AWARD OF DEGREES, DIPLOMAS, CERTIFICATES AND OTHER ACADEMIC DISTINCTIONS-QUALIFICATIONS FOR GRANTING AND OBTAINING :

a) The University shall confer the Degrees and other academic distinctions on persons who have pursued the courses of study of the University and have passed the prescribed examinations of the University or shall have successfully carried on the research under conditions prescribed (prescribed means prescribed by the Academic council with the approval of the Board of Management)

b) The University shall confer the honorary degrees or distinctions on the approved person's in the manner prescribed.

c) The University shall award the Degrees including the Research Degrees and honorary degrees at the University convocation which shall ordinarily be held every year in the month of December or January, but a special convocation may also be held at such other time as may be found necessary or convenient.

d) Every candidate for the first degree, post Gradutate and Research Degree, who have studied in colleges or studied privately and passed the University examination prescribed there for, shall receive the same together with any prize or Medal concerning at a convocation either in person or in absentia on payment of such fee as may be prescribed from time to time.

e) Candidates for all degrees and diplomas must register their names by the prescribed date before the convocation for attending the convocation by submitting the prescribed application form together with such fees as may be prescribed from time to time.

f) The Candidates who have not registered their names for the convocation shall not receive their degrees or diplomas at the convocation. They shall, however, receive the same from the office of the Registrar by submitting the prescribed application in absentia along with the fees prescribed from time to time.

g) The Degrees and Diplomas of the University shall be valid only if they bear the seal of the University and signed by the Registrar.

h) The visitor may invite an eminent person to address at a convocation.

i) The visitor shall preside at a meeting of the convocation. In his absence, the chancellor shall preside and in the absence of both the Vice-Chancellor shall preside.

j) The detailed procedure of conduct of convocation shall be as follows.

CONVOCATION FOR CONFERRING DEGREES

1. (i) A special meeting of the Academic council shall be held before the hour and time fixed for convocation for the purpose of conferring degrees and diplomas. The Visitor will on arrival, be received by the Chancellor, the Vice-Chancellor and Registrar at the entrance of the venue of the convocation. and then conducted to the place of meeting of

Academic Council. On the Visitor's taking his seat, a Senior Dean will supplicate Grace of the Academic Council for admission to the various degrees and diplomas on the candidates in the following words:-

"Mr. Visitor, I beg to move that Grace of the Academic Council be passed that the persons whose names are herewith appended and whom the Academic Council, on the report of the Examiners duly appointed, has certified to be qualified severally for the respective degrees, diplomas and medals as detailed in the list appended, be admitted to the respective degrees, diplomas and medals."

The next Senior Dean will second the supplication, where upon the Visitor will put the question "Does it please you that this Grace be passed? And the Academic Council assenting the Visitor shall declare "The Grace is passed".

ii) A Convocation for the purpose of awarding Graduate (Bachelors), Post Graduate (Masters) and Research Degrees, conferred by the Academic Council on the candidates, shall ordinarily be held every year in the month of December or January, but a Special Convocation may also be held at such other times as may be found necessary or convenient. The actual date and time of the convocation in each case shall be fixed by the Board of Management, subject to the Visitor's approval.

Not less than 45 (Forty five day's) notice shall, under direction from the Vice-Chancellor, ordinarily be given by the registrar, of an ordinary meeting of the convocation, and such notice of any other convocation as may be possible.

Candidates for all Degrees and Diplomas, must submit to the Registrar at least thirty days before the date fixed for the convocation, their applications for admission to their several degrees in the prescribed forms together with such fees as may be prescribed by the ordinances. No candidate who has not thus sent the application with the prescribed fee shall receive the degree or diploma at the convocation.

The Visitor, the Chancellor, the Vice-Chancellor and the distinguished guest who has been invited to address the candidates, as well as the members of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council and such of the Deans of the Faculties who are not other-wise members of the above authorities, shall assemble at the appointed hour and place and shall walk in a procession to the place where the degrees and diplomas are to be awarded.

The Visitor, the Chancellor, the Vice-Chancellor, the distinguished guest, the Registrar, the members of the Board of Management, the Academic Council, such of the Deans of the Faculties who are not otherwise members of the above authorities and the candidates shall appear in white dress with the appropriate badges prescribed for them.

The candidates shall be seated facing the Visitor (or the Chancellor or the Vice-Chancellor)

As the procession approaches, the candidates and the guest shall rise and remain standing until the Visitor, the Chancellor, the Vice Chancellor, the distinguished guest, the

members of the Governing Body, The Board of Management, the Academic Council and such of the Deans of the Faculties, who are not otherwise members of the above authorities, have taken their seats.

8. The Visitor, the Chancellor, the Vice- Chancellor, the distinguished guest and the members of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council and such of the Deans of the Faculties who are not other wise members of the above authorities, having taken their seats, the Visitor (or the Chancellor or the Vice-Chancellor) shall say :-

"This Convocation of the MNR&ASRK University has been called to confer degrees upon the candidates who have been certified worth of these degrees by the Academic Council. Let the candidates be presented".

9. Honorary degrees, if any, shall be conferred immediately after the opening of the convocation. The recipient of such a degree shall be presented ordinarily by the Vice-Chancellor who shall make a recital of the recipient's qualifications. The Visitor or the chancellor or the Vice Chancellor, in presenting the Honorary degree, shall say to the recipient:-

"By virtue of the authority vested in me as Visitor (or chancellor or Vice - Chancellor) of the University, I admit you to the degree of ....Honoris Causa on account of your eminent position and attainments."

10. The following shall be the order of the presentation:-

(a) Honorary Degrees:-
- (i) LL. D
- (ii) D. Litt.,
- (iii) D. Sc.

(b) Post-Graduate (Masters) and Research Degrees in:-
- (i) Arts,
- (ii) Science,
- (iii) Commerce,
- (iv) Law,
- (v) Medicine,
- (vi) Engineering/Technology
- (vii) Education.

(c) Bachelor Degrees in:
- (i) Arts,
- (ii) Science,
- (iii) Commerce,
- (iv) Law,
- (v) Medicine,.
- (vi) Engineering/Technology
- (vii) Education..

11. With the candidates for the ordinary degrees standing the Visitor (or the Chancellor or the Vice-Chancellor) shall put to them the following questions of which the candidates shall answer in words. "I do promise".

Question 1 : "Do you solemnly and sincerely promise and declare if admitted to the degree of ... you will, in your daily life and conversation, conduct yourself as become members of the university"?

Answer : "I do Promise".

Question 2 : "Do you solemnly and sincerely promise and declare to the utmost of your opportunity and ability, you will use your powers for the promotion of true learning and in the service of your followmen".

Answer : "I do Promise".

Question 3 : "Do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and diligently fulfill the duties of the profession to which you will eventually belong and that you will on all occasions, maintain its purity and reputation"?

Answer:- "I do promise".

12. The Visitor (or the Chancellor or the Vice Chancellor) shall then say. "Let the candidates be presented.)

13. The candidates shall be presented in batches to the Visitor (or the Chancellor or the Vice-Chancellor) by the Deans of the respective Faculties who shall say for each batch :
"Mr. Visitor,
(or Mr. Chancellor
or Mr. Vice-Chancellor)
Sir,
I present you this candidate (or these candidates ( ) and pray that he (or they) may be admitted to the degree of ______

14. When all the candidates for the same degree have been presented, the Visitor (or the Chancellor or the Vice-Chancellor), in presenting the degrees, shall say to the candidates who shall remain standing:-

"By virtue of the authority vested in me as Visitor, (or chancellor or Vice-Chancellor) of the MNR&ASRK University, I admit you to the degree of ________ and I charge you throught you life to prove worthy of this degree.

15. When all the candidates have been presented, the Registrar shall lay the record of the degrees that have been conferred, before the Visitor (or the Chancellor or the Vice Chancellor) together with the record of the ordinary degree or diplomas to be given to the candidates, in absentia who shall then affix his signature thereto.

16. The distinguished guest will then address the convocation.

17. At the close of the Address. the Visitor. the chancellor. The Vice-Chancellor and Members of the University Governing Body. the Board of Management. the Academic

Council and such of the Deans of the Faculites who are not otherwise members of the above authorities shall rise, and the Visitor (or the Chancellor or the Vice-Chancellor) shall then say: "I declare the convocation dissolved".

18. The Visitor, the Chancellor, the Vice-Chancellor, the distinguished guest and the members of the university Governing Body the Board of Management, the Academic Council and such of the Deans of the, Faculites who are not otherwise members of the above authorities shall then retire in procession, the graduates and guests standing.

5. AWARD OF FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, STIPENDS, MEDALS AND PRIZES

a) FELLOWSHIP :

1) Research fellowships tenable for such period as may be determined by the Vice-Chancellor, to such persons as may be working for a Doctorate Degree of the University may be recommended by the Head of the Department, in consultation with the Dean of the Faculty concerned. Research fellowships may also be awarded, on the recommendation of the Head of the Department in consultation with the Dean of the Faculty concerned, to such persons as may be working on approved Research Project. The emoluments and the duration of such fellowships, shall be determined by the Vice - Chancellor.

2) A student who is awarded a fellowship shall devote his whole-time to research and shall not take up any whole-time or part-time salaried appointment or take up whole-time or part-time engagement or work either with Government or private, without the permission of the Vice Chancellor. He shall not prepare for any examination except for Diploma Examinations with the permission of the Dean concerned in any subject or subjects other than the one for which the fellowship has been awarded.

3) A student who is awarded a fellowship but discontinues the work before the expiry of the period for which he has been awarded the fellowship, shall be required to refund, at the discretion of the University, the entire amount of the scholarships drawn by him till the date of discontinuation of the Research work, and for this purpose, he shall bind himself, and his heirs and shell assign and agree to make the above refund.

4) The Vice - Chancellor may suspend, reduce or cancel a fellowship owing to unsatisfactory progress, conduct or attendance of the recipient.

b) SCHOLARSHIPS :

1. *General :*

i) Only such students shall be eligible for scholarships as shall have been regularly enrolled in the University. Normally the award shall be made for the period indicated of the various courses except in the case where the scholar joins the college late. Such as those scholars, who join late shall be awarded the scholarships from the date of their joining the college. In such cases, the Principals of the concerned colleges shall indicate the exact period of award.

ii) Two different scholarships from the University shall not be allowed to be held by the same persons, but an endowed scholarships may be awarded to the holder of another scholarship.

iii) Merit scholarship shall not be awarded to a student on the result of an examination which he has not passed in one attempt.

iv) Failure to pass an examination during the tenure of the award for whatever reason the scholarship shall automatically stand cancelled.

Post -graduate scholarships:

Scholarships will be awarded in each professional Faculty for Post-graduate studies on the same conditions specified in clause i.

Merit Scholarships:

(i) All scholarships shall be awarded on the basis and in the order of merit as specified under clause (b) (iii)

(ii) Any vacancy arising for whatever reason shall not be filled. Merit scholarship shall be awarded only to candidates who obtain a minimum of 60% in the aggregate of the examination on the results of which the scholarships are awarded.

<u>GOLD MEDALS</u> :

i) The Gold Medal shall be awarded to the meritorious candidates. The candidates who pass the prescribed qualifying examination of the University in first class securing the highest aggregate marks in the Course Subject · Specialisation as may be described by the donor, shall be considered eligible for award of Gold Medal. The candidate is required to complete the course in the prescribed duration and pass the examination in first attempt with the batch of students admitted along with him / her.

ii) The Gold Medal shall be awarded at the University convocation.

iii) Every year before the convocation the University shall announce the names of recipients of Gold Medal for various Courses / Subjects in the newspapers.

iv) Communication shall be sent to the donor for the convocation to grace the occasion.

<u>Institution of Gold Medal</u>

i) The Donors who would like to institute a Gold Medal in the University shall send the endowment amount as prescribed by the University from time to time through Demand Draft drawn in favour of the Registrar. The Donor shall also indicate the inscription and citation for the said Gold Medal. The proposals of the Donors for institution of Gold Medal shall be placed before the Board of Management for acceptance.

ii) The decision of the University shall be communicated to the Donor and also to all the concerned.

iii) The interest accrued on the endowment shall be utilized for preparation of Gold Medal.

iv) In case the donor desires that the Gold Medal be awarded at the immediate next convocation. donor has to remit 10% of the endowment amount towards interest.

v) The name of the donor or the person in whose name the Gold Medal is to be instituted shall be indicated on the Gold Medal by way of inscription.

vi) The citation of Gold Medal shall indicate to whom the Gold Medal is to be awarded.

d). PRIZES :

1. The Prizes shall be awarded to the meritorious candidates. The candidate who passes the prescribed qualifying examination of the University in first class securing the highest aggregate marks in the Courses / Subject / Specialisation as may be described by the donor shall be considered eligible for award of prize. The candidate is required to complete the course in the prescribed duration and pass the examination in first attempt with the batch of students admitted along with him / her.

2. The Prizes shall be awarded at the University convocation.

5. CONDUCT OF UNIVERSITY EXAMINATIONS AND RESULTS THEREOF :

a) The Board of Management shall conduct the University Examinations and the results thereof shall be approved and published by the Results Committee, the composition of which shall be as follows:-

i. The Vice- Chancellor (Chairman)
ii. The Dean of the Faculty concerned.
iii. One professor of the subjects assigned to the Faculty.
iv. One expert nominated by the chancellor
v. the Registrar

The Results Committee shall also decide the punishment to be awarded to candidates resorting to malpractice taking into consideration the Report of Board of Examiners.

b) Appointment of Examiners :

1. The examiners for various University examinations shall, ordinarily, be appointed by the Vice Chancellor from the panel recommended by the Examination Committee, provided that with the approval of the chancellor the Vice Chancellor may appoint examiners out side the panel. if he deems fit and necessary.

2. There shall be external paper-setters for all examinations of Master's degree and Professional Faculties, except Commerce- B.Com., and I & II Year Professional Courses. For the other examinations, ordinarily, half the number of paper setters shall be External and the remaining internal.

Explanation :

For purpose of this Ordinance "External Examiner" shall mean a person who is not a teacher in the subject in the University, constituent or Affiliated Colleges.

3. The Vice -Chancellor may appoint persons who are on the staff of the University, Constituent or Affiliated Colleges or recognized Institutions as paper-setters, in case external paper-setters are not available.

c) Cancellation of Appointment :

The Vice - Chancellor, may at any time, cancel, with hold or suspend the appointment of any examiner without assigning any reason.

d) *Category of Examiners:-*

The following shall be the categories of examiners, appointed:-

i. Paper-setters and / or Chief Examiners.

ii Assistant Examiners

iii Examiners for Practicals.

iv Additional Examiners for Practicals.

e) *Eligibility:-*

i) Paper-setters shall have at lest three years of teaching experience in the subject, and for the standard for which they are required to set the papers:

Provided, however, that the qualification of teaching may not be regarded as indispensable for appointment as Paper-setters, in case of postgraduate and professional examinations.

ii) No one shall ordinarily be appointed Assistant Examiner who has not had at least three years of teaching experience and who is not on the teaching staff of any of the University, Constituent of Affiliated Colleges, provided however, the Vice-Chancellor shall have the power to relax this rule if the number of persons available, is not sufficient.

f) *Examiners for Practicals:-*

For each practical examination there shall be two joint examiners, one of whom shall ordinarily be an external examiner.

g) *Valuation of Answer Books :*

In the case of examinations for the Master's degree, III & IV year Examinations of professional Courses each answer-book shall be valued independently by two persons, of whom one shall be an External Examiner;

In the case of all other examinations the answer books shall be valued by the Chief Examiner and his Assistants wherever such assistants are appointed.

h) *Terms of office:-*

Paper-setters and examiners shall be appointed for one year (for two examinations in cases where two examinations are held in a year) and shall ordinarily be eligible for re-appointment

consecutively for two more years, the priod of each such fresh appointment, however, being only one year at a time. The Vice-Chancellor shall have the power to relax the rule, in such cases as he may deem desirable.

Ph.D. Examination:-
Appointment of examiners for the Ph.D. degree examinations shall be made as per ordinances with due approval.

Chairman, Board of Paper- setters:-
For all examinations the Vice-Chancellor shall nominate one of the paper-setters, as Chairman who shall receive all the questions papers from the other paper-setters, moderate them in accordance with the prescribed syllabus and forward them to the controller of Examinations in one consignment as far as possible. In case where the chairman feels the necessity of co-opting other Paper -setters to assist him in the moderation work, he may co-opt not more than two paper -setters, only after obtaining the approval of the Vice - Chancellor.

The Chairman shall moderate the question-papers keeping in view the following points.

i) Maintenance of standards of the examination
ii) Sufficiency of choice in the questions, subjects and in papers where such choice is usually permitted.
iii) Even distribution of the questions in the paper over the whole course.
iv) Elimination of questions if they are:-
    Outside the syllabus, and asking for an expressions of religious opinion.
v) Removal of ambiguity or obscurity in the wording of a question or questions so as to define clearly and precisely the scope of the answer expected for the questions.
vi) To verify that marks are noted against each question on the question paper except where it is stated that all questions carry equal marks.

The chairman or any member of the Board of Paper-setters shall, if required to do so, correct the proofs that may be sent to him.

Board of Examiners:-
There shall be a Board of Examiners in each subject consisting of not more than 3 chief Examiners the Chairman of which shall be nominated by the Vice -Chancellor.

The Board of Examiners shall meet to consider and pass the award lists.

If the Board of Examiners considers the valuation of any particular paper too stiff, it may, after reviewing a few papers, recommend to the Vice-Chancellor, addition of a few marks not exceeding five(5) to every candidate in the particular paper and not to candidates whose papers have been valued by any particular examiner. The Board of Examiners may also, if considered necessary, recommend re-valuation of all the papers. The Vice-Chancellor, taking into consideration the recommendation of the Board of Examiners, may take such action as he deems appropriate.

4. The Board of Examiners shall consider and express its opinion on cases of malpractice referred to it by the Controller of Examinations on the basis of report received from the chief. Superintendents of various centers or by the Examiners.

Duties of Examiners:-

1. *Chief Examiner:-* The duties of Chief Examiner will be:-
   i) to set the standard of valuation
   ii) to supervise the work of his assistants
   iii) to value of the answer -papers.
   iv) to approve the valuation of his assistants.
   v) to report on the results of the examination
   vi) to do such other work as may be assigned to him by the Vice Chancellor.

2. Within 3 days after date of receipt of answer papers:-

   (i) the chief Examiner of Paper in which he is assisted by less than 4 assistant examiners shall issue written instructions to his assistant examiners with regard to standard of marking so as to secure uniformity of valuation. The chief Examiner shall also indicate in such written instruction the scope of each answer and give general directions with regard to the marking of each answer.

   (ii) The Chief Examiner if he is assisted by 4 or more assistant examiners shall call a meeting to issue instructions to the Examiners regarding the standard of making so as to secure uniformity in valuation. Examiners shall attend the meeting called by the Chief Examiner for this purpose. The controller of Examinations shall send the notice of such meetings to all examiners. Unless specially exempted by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Chief-Examiner. every examiner shall attend such a meting and failure to do so will be reported to the Vice-Chancellor for such action as he deems appropriate.

The Chie Examiner shall review the valuation of 5% of the scripts marked by his assistants as per his instructions issued in this behalf.

For the September October examination held each year, since the Chief Examiners and assistant examiners for the Paper are the same as for March April examinations, there is no need for holding meeting of Chief Examiners and assistants examiners for discussing the standards of valuation, or the scope of each answer. The scheme and the standard of valuation for the September October examination shall be communicated in writing to the assistant examiners by the Chief examiner, indicating clearly the scope of answers and mode of marking each answer even if assistant examiners are 4 or more.

The Chief-Examiner shall be responsible for the submission of the results of the valuation done by him and his assistants together with answer books to the controller of Examinations within 15 days from the date of issue of first instruction.

m) *Assistant Examiners:-*

1. The duties of the Assistant Examiners shall be to value answer papers under the directions of the Chief Examiners.

2. Instructions, form the Chief Examiner to the assistant examiners shall be regarded as confidential and strictest secrecy shall be maintained with regard to marks assigned to candidates.

n) *Examiners for practicals:-* -
The duties of the examiners for Practicals will be, to set the papers and conduct the practicals.

o) *General:-*

1. If for any reason an examiner cannot value all the scripts, assistant examiners may be appointed to assist him in valuation.
2. Every examiner must strictly conform to the instructions as to the time and manner of submitting marks, results of valuation and answer books to the chief Examiner by the specified date. Failure to do so shall entitle deduction from the remuneration to be paid.
3. All examiners shall carryout instructions which the Board of Management or the Vice-Chancellor may issue from time to time.
4. Canvassing for examiner ships will be treated as disqualification.

p) *Principals to furnish teaching staff list:-*
The controller of Examinations shall by the 1st July of each year notify the Principals of the University, Constituent and Affiliated Colleges and Recognised Institutions that they should send to him before 15th July, statement in duplicate containing the details in respect of the teaching staff working with them as per following proforma:-

SL. No.	Name of Teacher	Age	Qualification	Present grade and date of appt. to the present grade	Class & Subject which he teaches.	No of years of experi ence	Previous appt. as examiner etc. Showing year & grade	Remar ks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Copies of these statements will be forwarded by the Controller of Examinations to the respective Examination Committee for consideration.

q) Examination Committee *to send Panels:-*
The respective Examination Committee shall make recommendations of persons considered eligible to act as examiners.

The Examination Committee while making recommendations will suggest a panel of examiners for each paper of the various grades of examination. While doing so, the Examination Committee shall take into consideration the rules contained in this ordinance and such other rules as may be laid down from time to time.

List of scrutinizers:-
The Controller of Examinations shall compile a list of Scrutinizers taking into consideration the recommendation of the Principals of colleges.

Appointment of scrutinizers:-
Scrutinizers for all examinations shall be appointed by the Vice Chancellor. Each scrutinizer shall be allotted approximately 3,000 answer books for scrutiny.

Chief superintendents and invigilators:-
Chief superintendent and invigilators shall be appointed by the Vice Chancellor.

Disparity Cases:
In regard to Master's Degree, III & IV year examination of Professional courses, where there is a disparity in the award between two independent valuers to the extent of 20% or more, the Vice Chancellor shall refer the answer books to a third valuer, appointed by him. The previous awards along with the award of the third valuer shall be referred to the Vice Chancellor for his orders, which shall be final.

Tabulation of Marks:
As soon as the award lists are returned by the chairman of the Board of Examiners with the Board's recommendation and after the Vice-Chancellor's orders thereon the marks will be entered from the award lists in the Result Register.

Remuneration to Examiners:-
Remuneration to the examiners and for examination work shall be as detailed below subjects to change from time to time with due approval.

Nature of Work	Rates
Invigilation	Rs. 40/-
Chief Superintendent	Rs 60/-
Paper Valuation (P.G) & Professional (UG) Non - Professional (UG)	 Rs. 7/- Rs. 6/-
Local Conveyance per day	Rs. 40/-
Chief Examiners	Rs.225/-per day/session(Question paper code wise).
Remuneration to senior lecturer to accompany the confidential material to District Centre including handling charges	Rs. 275/-
Taxi hire charges at the time of BA/B.Com/B.Sc..	Rs. 3.70 per K.M.

annual and supplementary Exams to dispatch the confidential material to district centres. Driver Bhatta	 Rs. 100/- per day
Material handling charges	Rs. 25/- per day
Mobile squad for district Centres	Rs. 250/- per day
City vehicle - full day Half day	Rs. 510/-for 10hrs or 100K.M and Rs. 3.45 per extra K.M. Rs.375/-for 5hrs or 50 K.M. Rs.3.45 per extra K.M.
Partial computersation of old batches	Rs. 2.50
I Year	Rs. 2.50
II Year	Rs. 3.00
III Year	Rs. 3.00
IV Year	Rs. 3.00
V Year	Rs. 3.60
Printing of Consolidated memos of marks	Rs. 0.80
Printing of Provisional certificate	Rs. 0.80
Printing of PC-Cum-Consolidated Marks Memo at end of III/V/V years	Rs. 1.20
PG and other examinations involving double valuation I Year II Year III Year	 Rs. 5.00 Rs. 5.25 Rs. 5.50
<u>Semester wise</u> I Year II Year III Year IV Year	 Rs. 5.00 Rs. 5.25 Rs. 5.50 Rs. 5.75
<u>Engineering and other Professional Courses</u> I Year II Year III Year IV Year	 Rs. 3.00 Rs. 3.25 Rs. 3.25 Rs. 4.00
Scrutiny of application forms	Rs. 0.50 Per Paper

x) *<u>General:-</u>*

i) Rates of remuneration for conducting practical examinations include charges for valuing the answer books also.

ii) If an examiner for any reason whatsoever, is unable to value the answer books after setting the question paper, he shall be entitled to only half the amount of the fees for

setting the paper. The other half shall be paid to the examiner who actually values the answer books.

iii) If a paper is set jointly by more than one examiner the remuneration shall be equally divided amongst the joint paper - setters.

iv) If a paper is set and or valued by two persons the remuneration will be shared equally.

v) When the whole answer book is examined by two independent examiners each examiner shall be paid the full remuneration prescribed for examining that answer book.

vi) Examiners shall be paid actual postal expenses incurred by them on production of original postal vouchers.

vii) External examiners, appointed as their valuer, shall be paid rates prescribed for that particular examination subject to a minimum of Rs. 25/-

viii) External examiners coming to Raipur will be paid traveling and halting allowances as per the rules of the State Government

7. *Fees for various courses of study, Examinations of the University.*

a) The Fees to various courses of study of the university shall be as follows subject to changes from time to time with due approval.

Faculty/Course	Tuition Fee per Y ear (in Rs)
Faculty of Arts	
Bachelor of Arts (B.A.) in History, Political Science, Public Administration, Economics. Political Science. Public Administration Sociology Mathematics.	6000/-
Bachelor of Library and Information Science (BLISC)	7000/-
Bachelor of Journalism (B.J)	7000/-
Master of Arts (M.A) in History Political Science Public Administration Economics Geography Sociology English Hindi Sanskrit Marathi Telugu	8000/-
Master of Library and Information Science (MLISC)	9000/-

Master of Journalism (M.J)	9000/-
Doctor of Philosophy (Ph. D)	
Faculty of Commerce & Management	
Bachelor of Commerce (B.Com)	6000/-
(Computers)	7500/-
Master of Commerce (M.Com)	8000/-
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)	7500/-
Master of Business Administration (M.B.A.)	10,000/-
DIPLOMA COURSES (ONE YEAR)	
Diploma In Business Management	5000/-
Diploma in Marketing Management	5000/-
Diploma in Material Management	5000/-
Diploma in Production Management	5000/-
Diploma in Quality Management	5000/-
Diploma in Office Management	5000/-
PG Diploma in E. Commerce	6000/-
Doctor of Philosophy (Ph.D.)	
Faculty of Science	
Bachelor of Science (B.Sc.) in	8000/-
Mathematics. Physics. Chemistry	
Mathematics. Physics. Computer Science	
Mathematics. Statistics. Computer Science	
Mathematics. Electronics. Computer Science	
Mathematics. Physics, Electronics	
Mathematics. Chemistry, Computer Science.	
Botany. Zoology, Chemistry	
Microbiology. Genetics, Chemistry	
Microbiology. Biotechnology, Chemistry.	
Master of Science (M.Sc.) in	12,000/-
Mathematics (Applied / pure)	
Physics	
Electronics	
Statistics (Applied / pure)	
Bio - Chemistry	
Botany	
Zoology	
Computer Sciences	13,000/-

M.Sc. Bio-Technology with the following Special branches.	15,000/-
Animal and plant Bio Technology	
Tissue Culture	
Animal cell culture	
Environment Bio-Technology	
Food Bio Technology	
Pharmacy Bio- Technology	
Environmental Science	
M.Sc. Bio-Informatics with the following specialisations.	15,000/-
Genomics	
Proteomics	
Cell and Molecular Biology	
Computer application.	
M.Sc. Microbiology with the following specialisations.	15,000/-
Industrial Microbiology	
Ironmunology	
Molecular Biology	
Applied Microbiology	
M.Sc. Genetics with the following specielisations.	15,000/-
Human Genetics	
Plant Genetics	
Plant Bio Technology	
Doctor of Philosophy (Ph.D.)	
Faculty of Education	
Bachelor of Education (B. Ed.)	13,000/-
Master of Education (M.Ed.)	10,000/-
Faculty of Law	
Bachelor of Laws (LLB)	10,000/-
Master of Laws (LLM)	8,000/-
Faculty of Engineering Technology	
Bachelor of Engineering Technology (BE. B.Tech.) in	25,000/-
Computer Science	
Electronics. Computers, Electrical	
Electronics. Instrumentation, Electrical	
Civil	
Mechanical	
Automobile	
Production	
Instrumentation	
Metallurgy	

Chemical
Textile

Master of Engineering / Technology (M.E. / M. Tech.)	20,000/-
Computer Science	
Electronics	
Electrical	
Mechanical	
Instrumentation	
Civil	
Chemical	
Textile	
Bachelor of Computer Applications (B.C.A.)	20,000/-
Master of Computer Applications (M.C.A.)	25,000/-
Faculty of Medicine	
Bachelor of Medicine / Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)	3,00,000/-
Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)	1,50,000/-
Master of Dental Surgery (M.D.S)	2,25,000/-
Master of Surgery (M.S.)in.	2,25,000/-
General Surgery	
Ophthalmology	
Obstetrics & Gynaecology	
Orthopaedic Surgery	
Doctor of Medicine (M.D.) in.	2,25,000/-
Anaesthesiology	
Anatomy	
Bio - Chemistry	
Community Medicine	
Dermatology, Venereology & Leprosy	
Forensic Medicine	
General Medicine	
Microbiology	
Paediatrics	
Pathology	
Pharmacology	
Psychiatry	
Radio Diagnosis	

<u>ALLIED MEDICAL COURSES (THREE YEARS)</u>

M.Sc. (Medical)	Anatomy	75,000/-
M.Sc. (Medical)	Physiology	75,000/-
M.Sc. (Medical)	Bio-Chemistry	75,000/-
M.Sc. (Medical)	Microbiology	75,000/-

<u>PARA MEDICAL CORUSES</u>

Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)	50,000/-
Bachelor of Medical Laboratory Technology	25,000/-
Bachelor of Occupational Therapy	25,000/-
Bachelor of Respiratory Therapy Technology	25,000/-
Bachelor of Health Information Administration	25,000/-
Bachelor of Medical Imaging Technology	25,000/-
Bachelor of Speech, Language & Hearing	25,000/-
Bachelor of Nursing (Nursing)	45,000/-
Master of Physiotherapy (M.P.T)	1,00,000/-

<u>CERTIFICATE COURSES (MEDICAL) (ONE YEAR)</u>

Diploma in Medical laboratory technology (Lab. Asst.)	5,000/-
Diploma in Medical laboratory technology (Lab. Tech)	5,000/-
Certificate of Blood Bank Technician Course	5,000/-
Certificate of Radiographic Assistant Course	5,000/-
Certificate of Dark Room Assistant Course	5,000/-
Diploma in Medical Imaging	5,000/-
Certificate of ECG Technician Training Course	5,000/-
Certificate of Cardiology Technician Training Course	5,000/-
Certificate of Anaesthesia Training Course	5,000/-
Diploma in Audio Metric Technician Training Course	5,000/-
Diploma in Ophthalmic Assistant Course	5,000/-
Diploma in Optometrist Course	5,000/-
Dialysis Technician Course	5,000/-
Diploma in Dental Hygienist Course	5,000/-
Diploma in Dental Technician Course	5,000/-
Diploma in Cath Lab Technician Training Course	5,000/-

<u>PHARMACEUTICAL COURSES</u>

B. Pharm	50,000/-
M. Pharm	75,000/-
Ph. D.	

b) The Fees to various Examinations of the University shall be as follows subject to changes for time to time with due approval.

Faculty/Course	Exam Fee per Year (In Rs)
Faculty of Arts	
Bachelor of Arts (B.A.) in History, Political Science, Public Administration, Economics, Political Science, Public Administration Sociology Mathematics.	250/-
Bachelor of Library and Information Science (BLISC)	300/-
Bachelor of Journalism (B.J)	300/-
Master of Arts (M.A) in History, Political Science, Public Administration, Economics, Geography, Sociology, English, Hindi, Sanskrit, Marathi, Telugu	500/-
Master of Library and Information Science (MLISC)	500/-
Master of Journalism (M.J)	500/-
Doctor of Philosophy (Ph. D)	1000/-
Faculty of Commerce & Management	
Bachelor of Commerce (B.Com)	250/-
(Computers)	300/-
Master of Commerce (M.Com)	500/-
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)	350/-
Master of Business Administration (M.B.A.)	600/-
DIPLOMA COURSES (ONE YEAR)	
Diploma In Business Management	300/-
Diploma in Marketing Management	300/-
Diploma in Material Management.	300/-
Diploma in Production Management	300/-

Diploma in Quality Management	300/-
Diploma in Office Management	300/-
PG Diploma in E. Commerce	400/-
Doctor of Philosophy (Ph.D.)	1000/-

Faculty of Science

Bachelor of Science (B.Sc.) in Mathematics, Physics, Chemistry Mathematics. Physics, Computer Science Mathematics. Statistics, Computer Science Mathematics, Electronics, Computer Science Mathematics, Physics, Electronics Mathematics. Chemistry, Computer Science Botany, Zoology, Chemistry Microbiology, Genetics, Chemistry Microbiology, Biotechnology. Chemistry.	300/-
Master of Science (M.Sc.) in Mathematics (Applied pure) Physics Electronics Statistics (Applied / pure) Bio - Chemistry Botany Zoology	600/-
Computer Sciences	650/-
M.Sc. Bio-Technology with the following Special branches. Animal and plant Bio Technology Tissue Culture Animal cell culture Environment Bio-Technology Food Bio Technology Pharmacy Bio- Technology	650/-
M.Sc. Bio-Informatics with the following specialisations. Genomics Proteomics Cell and Molecular Biology Computer application.	650/-
M.Sc. Microbiology with the following specialisations. Industrial Microbiology Ironmunology Molecular Biology Applied Microbiology .	650/-

M.Sc. Genetics with the following specialisations.	650/-
Human Genetics	
Plant Genetics	
Plant Bio Technology	
Environmental Science	
Doctor of Philosophy (Ph.D.)	1000/-
Faculty of Education	
Bachelor of Education (B. Ed.)	500/-
Master of Education (M.Ed.)	500/-
Faculty of Law	
Bachelor of Laws (LLB)	500/-
Master of Laws (LLM)	500/-
Faculty of Engineering/ Technology	
Bachelor of Engineering /Technology (BE./B.Tech.) in	500/-
Computer Science	
Electronics, Computers, Electrical	
Electronics, Instrumentation, Electrical	
Civil	
Mechanical	
Automobile	
Production	
Instrumentation	
Metallurgy	
Chemical	
Textile	
Master of Engineering / Technology (M.E / M. Tech.)	500/-
Computer Science	
Electronics	
Electrical	
Mechanical	
Instrumentation	
Civil	
Chemical	
Textile	
Bachelor of Computer Applications (B.C.A.)	400/-
Master of Computer Applications (M.C.A.)	500/-

Faculty of Medicine

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)	500/-
Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)	500/-
Master of Dental Surgery (M.D.S)	600/-
Master of Surgery (M.S.)in,	600/-
General Surgery	
Ophthalmology	
Obstetrics & Gynaecology	
Orthopaedic Surgery	
Doctor of Medicine (M.D.) in,	600/-
Anaesthesiology	
Anatomy	
Bio - Chemistry	
Community Medicine	
Dermatology, Venereology & Leprosy	
Forensic Medicine	
General Medicine	
Microbiology	
Paediatrics	
Pathology	
Pharmacology	
Psychiatry	
Radio Diagnosis	

ALLIED MEDICAL COURSES (THREE YEARS)

M.Sc. (Medical)	Anatomy	500/-
M.Sc. (Medical)	Physiology	500/-
M.Sc. (Medical)	Bio-Chemistry	500/-
M.Sc. (Medical)	Microbiology	500/-

PARA MEDICAL CORUSES

Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)	500/-
Bachelor of Medical Laboratory Technology	500/-
Bachelor of Occupational Therapy	500/-
Bachelor of Respiratory Therapy Technology	500/-
Bachelor of Health Information Administration	500/-
Bachelor of Medical Imaging Technology	500/-
Bachelor of Speech, Language & Hearing	500/-
B.Sc. Degree Course in Nursing	500/-
Master of Physiotherapy (M.P.T)	600/-

CERTIFICATE COURSES (MEDICAL) (ONE YEAR) 550/- for all courses

Diploma in Medical laboratory technology (Lab. Asst.)
Diploma in Medical laboratory technology (Lab. Tech)
Certificate of Blood Bank Technician Course
Certificate of Radiographic Assistant Course
Certificate of Dark Room Assistant Course
Diploma in Medical Imaging
Certificate of ECG Technician Training Course
Certificate of Cardiology Technician Training Course
Certificate of Anaesthesia Training Course
Diploma in Audio Metric Technician Training Course
Diploma in Ophthalmic Assistant Course
Diploma in Optometrist Course
Dialysis Technician Course
Diploma in Dental Hygienist Course
Diploma in Denial Technician Course
Diploma in Cath Lab Technician Training Course

PHARMACEUTICAL COURSES

B. Pharm	500/-
M. Pharm	600/-
Ph. D.	1000/-

8. **CONDITIONS OF RESIDENCE OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY** :

a) The University shall establish and maintain separate Hostels for male and female students for their residence the admission for which shall be under the following conditions:

1. On arrival a student will report to the caretaker or any other official of the hostel authorized by the warden and will take possession of the room after signing the inventory of the furniture, electrical and other items in the room.

2. At the end of each semester a student shall vacate his/her room and hand over the charge of the room including all items on the inventory to the caretaker-or-any other official of the hostel authorized by the warden. Any student desirous of retaining his room during the vacation must seek prior permission of the warden.

3. Any act of intimidation of violence, willful damage to property or drunken and riotous behavior constitutes an offence.

4. Use of narcotics, consumption of alcoholic beverages and gambling are strictly prohibited.

5. Use of audio equipment in hostels is acceptable only if it is not objectionable to other residents.

6. It is mandatory and ordinarily sufficient for a resident to inform the House Secretary/Warden about any guest(s) staying overnight with him, with express provision that they are empowered to deny permission, if the situation so warrants, would

have to be obtained from the warden. For longer perio... ...ission is to be sought from the Dean of students/Associate Dean of students.

7. The Hostel dues shall paid as per the directives of the University.

8. *For Male Students :*
   (i) A student's parents and other male guests may visit him in his room.
   (ii) Lady family members are allowed to visit a student in his room with the permission of the warden.
   (iii) Non-family lady visitors may be entertained by a student in the visitors room in the hostel from 8:00a.m to 8:00p.m

9. *For Female Students :*
   (i) All residents should be normally back in the hostel by 8:30p.m.
   (ii) In the pursuit of their academic work, they may stay in their

   laboratories, computer center or library till 11:00p.m. but be back in the hostel latest by 11.00p.m.
   (iii) In case any resident has to stay out in the research laboratory or computer center for academic work after 11.00p.m., she may do so after making proper entries in the register regarding her name, name of the laboratory/computer center, time of leaving the hostel and expected time to return to the hostel. On her return, she will enter in the same register the actual time of her return.
   (iv) If a resident whishes to stay out after 11.00p.m. for any other purpose, she has to take prior permission of the warden.
   (v) No first year student is allowed to be outside the hostel after 9.00p.m. for any reason without specific and prior approval of Warden and making proper entries in the register.

The University shall recognize the Hostels maintained by any private body or person under the following conditions:-

1. Any body or person who wishes that hostel maintained or managed by such body should be recognized by the University shall apply to the Board of Management for recognition and shall supply such information as the Board of Management may require on the following points :-
   a) Suitability of building
   b) Adequacy of accommodation
   c) Suitability of the neighbourhood
   d) Educational supervision
   e) Sanitary conditions
   f) Medical help
   g) Provision for games etc.

   The Board of Management after such enquiry as it may deem necessary shall decide as to whether or not recognition is to be granted. The Board of Management shall have power to prescribe such general or special conditions for recognition as it may

deem necessary. Provisional recognition may be granted by the Board of Management on certain conditions and failure to fulfill the conditions laid down shall entail the lapsing of the recognition. Every hostel seeking recognition shall have to remit to the University the prescribed amount towards recognition fee at the time of submitting the application for recognition by the University. The recognition fee is not refundable under any conditions.

2. All recognized hostels shall be managed by a regularly constituted governing body appointed by the persons or body maintaining the hostel, the constitution of which shall be periodically reported to and approved by the Board of Management of the University. A nominee of the University shall be included as a member of the governing body of the Hostel.

3. The hostel will admit only students.

4. The appointment of the superintendent or warden of every such hostel shall be made by the governing body of the hostel or by any authority to whom such body may have delegated the power and all such appointments shall be subject to the approval of the Board of Management of the University.

5. The Board of Management of the University shall have power to suspend or withdraw the recognition of any hostel which may not be conducted in accordance with the conditions prescribed by the Board of Management from time to time.

   Provided that no such action shall be taken without informing the management of such hostel an opportunity of making such re-presentation as it may deem fit.

6. The Board of Management shall hold periodical inspections of all hostels, and may order a special inspection of any hostel to be made whenever it considers desirable to do so and shall take such action on the report as it deem fit.

9. CONDUCT AND DISCIPLINE RULES FOR THE STUDENTS :

a) *Indiscipline and Misconduct :-*

Acts of Indiscipline and Misconduct :

Without prejudice to the general meaning of the term 'indiscipline' or 'misconduct', the following acts of students among others, shall constitute acts of indiscipline or misconduct:

(i) Impolite or offensive behavior or use or show of force against any employee student of the University in the University premises or outside:

(ii) Resorting to acts of intimidation or coercion or gherao;

(iii) Causing damage to the University property;

(iv) Tampering with any fittings (including sanitary and electrical) and furniture of the University;

(v) Defiling walls or other surfaces of any University buildings / property'

(vi) Getting enrolled in more than one courses of study simultaneously.

(vii) Committing forgery, tampering with or misusing of the University documents records, identification cards, etc;

(viii) Furnishing false certificates or false information to any office under the control and jurisdiction of the University.

(ix) Consuming or possessing alcoholic drinks, dangerous drugs or other intoxicants in the University premises;

(x) Indulging in acts of gambling in the University premises;

(xi) Unauthorised entry into any University Office/Department/Swimming Pool Sports field etc;

(xii) Unauthorised use of the University property/equipment;

(xiii) Refusing to leave any office/department/swimming Pool/Sports field etc when asked to do so by an employee who is authorized in this regard;

(xiv) Indulging in violence, including use of abusive language against any employee of the University in the premises or outside;

(xv) Preventing any employee of the University from discharging his/her duties;

(xvi) Possessing or using lethal weapons such as knives, lathes, iron chains, iron rods, sticks, explosives or fire-arms etc in the University premises.

(xvii) Bringing or harbouring or entertaining any stranger within the University Hostel Buildings Library without permission from the competent authority.

(xviii) Arousing, communal, caste or regional feelings or creating disharmony among students;

(xix) Indulging in any act of Ragging;

(xx) Not disclosing one's identity when asked to do so by an employee who is authorized to ask for identity;

(xxi) Tearing of pages, defacing, burning or in any way destroying books of the library:

(xxii) Preventing in any manner the use of the library facility:

(xxiii) Unauthorised occupation of hostel rooms:

(xxiv) Unauthorized shifting of furniture in the hostel rooms:

(xxv) Bringing guests to hostels without necessary permission of the Chief Warden Warden:

(xxvi) Not vacating hostel room during vacation when asked to do so or when an instruction is issued to that effect or after cancellation of hostel admission;

(xxvii) Unauthorized entry into a dining hall and use of mess facilities therein:

(xxviii) Improper rendering of accounts for the money drawn from any office under the control and Jurisdiction of the University.

(xxix) Coercing the medical staff to render medical assistance to unauthorized persons;

(xxx) Pilfering of medicines or forcibly taking them away;

(xxi) Coercing the medical staff to issue certificates:

(xxxii) Violation of any other Ruels/instructions/Regulations issued by the University/College/Department/Library/Hostel/Mess from time to time;

(xxxiii) Disobedience of any orders prescribed under this ordinance.

(xxxiv) Any other acts which according to vice chancellor is or are deemed to be indiscipline or misconduct.

Persons Authorized to take Disciplinary Action:-

Without prejudice to the powers of the Board of Management, Vice-Chancellor, the following persons are authorized to take disciplinary action by way of imposing penalties as specified under section (d) of this Ordinance.

i) The Head of the Department;

ii). The Principal of the College;

iii) The Dean of Student's Affairs

iv) The Librarian;

v) The Chief Warden/The Wardens;

vi). The Director of Physical Education:

vii). Discipline Committee:

Provided that the penalties specified at (vii) to (xi) under subsection (1) of section (d) of this ordinance can be imposed only by the discipline Committee;

c) 1) Not withstanding anything in these Rules or any other Rule for the time being in force. the Board of Management or the Vice-Chancellor in its or his discretion, as the case may be. may constitute a discipline committee for the purpose of enquiring and giving decision in respect of cases of indiscipline or misconduct attracting the imposition of penalties specified at (vii) to (xi) under subsection (1) of section (d) of this ordinance and also to act as appellate body in respect of penalties specified at (i) to (vi) under sub section (d) of this ordinance and where such penalties are imposed by persons mentioned in items (i) to (vi) of section (b) of this ordinance.

2) The Discipline Committee constituted under clause (1) shall consist of five senior teachers of MNR & ASRK University and of whom any three would form a quorum for discharging committee's functions.

d) *Penalties and Suspension* :

1. **Penalties**

The following penalties may. for acts of indiscipline or misconduct or for good and sufficient reasons and as hereinafter provided. be imposed on a student namely;

- (i) Warning;
- (ii) Fine up to Rs.100 -
- (iii) Recovery of pecuniary loss caused to the property;
- (iv) Cancellation of scholarships or any financial assistance from any source. or recommendation to that effect to the sanctioning agency;
- (v) Debarring from participation in Sports NCC NSS and other such activities.
- (vi) Disqualifying from holding any representative position in the class hostel Mess sports and in similar activities;
- (vii) Expulsion from the College Hostel Mess Library
- (viii) Debarring from an examination;
- (ix) Debarring from the University;
- (x) Disqualifying from further studies;
- (xi) Entering the act of indiscipline in the conduct Certificate Transfer Certificate etc.

Suspension

(i) Where a prima facie case is made out and disciplinary proceedings under this Ordinance are contemplated or initiated; or where a case against a student in respect of any criminal offence is under investigation or trail. the person authorized to take disciplinary action may. pending enquiry :

Suspend a student from the Class College Hostel Mess Library or availment of any other facility.

Order suspension of scholarship or any financial assistance form any source, recommend to that effect to the sanctioning agency.

(ii) An order under clause (i) of this Rule shall be followed by a charge-sheet within 7 days, except where a case for a criminal offence against the students is under investigation or trail.

(iii) An order under clause (i) of this Rule shall not remain in force for more than a period of one month form the date of its issue except in a case where any criminal offence is under investigation or trail. Provided, for reasons to be recorded in writing, the said period of one month may be extended if, in the opinion of the passing the order under clause (i) the enquiry could not be completed within the period of one month for reasons directly attributable to the student.

3. **Procedure for imposing penalties:-**

(i) An order imposing any of the penalties specified in Section (d) (1) shall be passed after the student is informed in writing of the allegations on account of which it is proposed to take action, and is giving an opportunity to make any representation he she may wish to make.

(ii) The record of Proceedings in such cases shall include, charge or charges : a copy of the statement of allegations communicated to him her; his her representation, if any; the orders on the case with the penalty imposed together with the reasons therefore.

4. Not withstanding anything in this Ordinance, the University has always the right to proceed in a Court of Law against a student guilty of an act which constitute an offence under any law in force as amended from time to time.

(e) *Appeals :*

1. A student may appeal against an order passed by any of the authorized persons to take disciplinary action mentioned in serial number (i) to (vi) under Section(b), to the Discipline Committee constituted under Section (c). An order passed by the Discipline committee on such appeal shall be final.

2. An appeal against an original order of the Discipline committee shall lie to Board of Management whose decision shall be final.

3. No appeal under this part shall be entertained unless it is submitted within a period of fifteen days from the date of receipt of a copy of the order.

Provided that the appellate body may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not submitting the appeal in time.

f) *Procedural Instructions for Holding of Disciplinary Enquires*

1. **Charge Sheet**

A Charge Sheet should contain :

(i) Definite charge or charges;

(ii) The grounds on which each charge is based;

(iii) Any other circumstances which it is proposed to take into consideration, in passing orders in the case. Each charge should be drawn clearly and precisely and care should be taken to avoid vagueness; and

(iv) The charge-sheet should indicate the punishment to be imposed on the student.

(v) The Charge-sheet should conclude with the following paragraph;

"Please show cause why suitable disciplinary action should not be taken against you on the charges mentioned above".

"You are required herewith to put in any written statement you may desire to submit in your Defence against the disciplinary action by ____ (the date and time to be specified). In case you fail to put in your written statement by the above date, the undersigned may proceed with the enquiry on the basis that you have no defence to offer".

2. Appointment of individuals committees to enquire into acts of indiscipline.

The persons authorized to take disciplinary action under section (b) may appoint an individual or constitute such committees as may be necessary to enquire into acts of indiscipline and give the findings and recommendations. The final order imposing shall however, be passed by the persons authorized to take disciplinary action.

3. Drawing up of the findings by the individual committee enquiring into acts of indiscipline.

4. On completion of the enquiry, including personal examination of the student, if any, the individual committee enquiring into an act of indiscipline shall record findings in respect of each charge, with persons therefore and forward the proceedings to the concerned person so as to take disciplinary action.

g) *Form and contents of appeal :*

(1) Every student submitting an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be addressed to the appellate body and shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies; it shall not contain any dis respectful or improper language, and shall be complete in itself.

h) *Withholding of appeals* :

The appellate body may withhold the appeal if.

(a) it is an appeal against an order from which no appeal lies: or

(b) it is not submitted within the period specified in section (e) (3) and no cause is shown for the delay: or

(c) It is a repetition of an appeal already decided and no new facts or circumstances are adduced

10. Cooperation and collaboration with other Universities / Institutions:-

The manner of cooperation and Collaboration with other Universities and institutions of higher Education shall be considered and ordinances will be made, with due approval, as and when need arises.

11. Creation of any other bodies:-

Creation of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University shall be considered and ordinances will be made, with due approval, as and when necessity arises.

12. Other Matters:-

All other matters, which by the Adhiniyam, Rules or Statutes are required to be provided, shall be considered and ordinances will be made with due approval.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 फरवरी 2004

क्रमांक 2171/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	नंदवाय प.ह.नं. 5	2.66	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	टेगंना नाला व्यपवर्तन के डूबान में अर्जित करने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 फरवरी 2004

क्रमांक 2172/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोठवानी प.ह.नं. 15	4.32	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन की शाखा नहर क्र. 1, 2, 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

क्रमांक 17 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	देवरगांव	8.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जला. के पतरकोनी शाखा नहर, देवरगांव उपशाखा नहर निर्माण एवं स्केप चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

क्रमांक 25 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	10.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	खुदरी जलाशय का नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन क्रमांक 04 अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गिधकालो	2.110	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़.	सलखेता जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन क्रमांक 2/अ-82/ 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बैरागी	0.949	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़.	सलखेता जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन क्रमांक 03 /अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना ५ ाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कुम्हीचुंवा	2.440	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़.	सलखेता जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 2/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	मारोदरहा प.ह.नं. 38	8.919	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायगढ़.	बैगामुड़ा जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जिला, कार्यालय, कलेक्टर, सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 जून, 2003

क्रमांक -9 अ 82/2003-2004.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1) सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

1- भूमि का वर्णन -

(क) जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील - सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम - मकरंदीपुर (तिवरागुडी) प.ह.नं. 70

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 42.57 हे.

खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
2983	0.17
2987	0.03
2991	0.18
2992	0.22
2993	0.19
2994	0.08
2995	0.16
2996	0.17
2997	0.26
2998	0.50
2999	1.26
3008	0.10
3010	0.43
3014	0.59
3151	0.11
3153	0.36
3155	0.12
3167	0.2
3168	0.08
3169	0.1[illegible]
3171	0.0[illegible]
3172	0.09
3174	1.45
3175	0.17
3176	0.07
3202	1.0[illegible]
3203	0.8[illegible]
3205	0.59
3219	0.62
3220	0.90
3222	0.38
3226	0.1
3227	0.10
3228	0.21
3229	0.12
3230/1	0.41
3230/2	0.27
3230/3	0.04
3230/4	0.07
3231	0.05
3232	0.15
3233	0.69
3234	0.36
3235	0.09
3236	0.17
3239	0.53
3240	0.80
3241	0.11
3242	0.43
3246	0.05
3247	0.56
3248	0.51
3249	0.025

(1)	(2)
3250	0.43
3252	0.74
3253	0.11
3254	0.11
3255	0.21
3256	0.12
3257	1.24
3258	1.54
3259	0.54
3260	1.02
3261	0.43
3262	0.63
3263	0.25
3264	0.30
3265	0.25
3266	0.42
3267	0.05
3268	0.80
3269	1.21
3270	0.25
3271	0.12
3272	0.39
3273	0.24
3274	0.55
3275	0.20
3276	0.12
3278	0.07
3280	0.08
3282	0.20
3284	0.01
3287	0.36
3288	0.22
3289	0.65
3290	0.46
3295	0.10
3296	0.14
3297	0.65
3299	3.44
3300	0.18
3307	0.32
3308	0.94
3312	0.04
3313	0.10
3316	0.04
3317	0.20
3318	0.18
3319	0.30
3320	0.39
3321	0.12
3324	0.28
3325	0.80
3326	0.18
3327	0.17
3328	0.11
3329	0.11
3330	0.56
3331	0.35
3332	0.40
3333	0.16
3334	0.19
3338	0.14
कुल योग	11442.57 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है–प्यूरी जलाशय के बाँध निर्माण के डुबान हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सरगुजा, दिनांक 23 जून 2003

क्र.-12/अ-82/2002-03.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक) सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम

1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील - सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम - ग्राम गिरजापुर, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.27 हे.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
247	0.01
248	0.16
250	0.03
261	0.07
योग - 4	**0.27 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है–गिरजापुर जलाशय के माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक -13/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक) सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील - सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम - ग्राम इन्दरपुर, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.83 हे.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
488	0.02
(1)	(2)
489	0.05
496	0.09
499	0.03
500	0.03
501	0.08
510	0.07
512	0.05
782/5	0.02
782/6	0.05
783	0.09
912	0.08
931	0.04
932	0.12
933	0.01
योग - 15	0.83 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है–गिरजापुर जलाशय के माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सरगुजा, दिनांक 23 जून 2003

क्र. -14/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक) सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील - सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम/ - ग्राम ओड़गी, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.39 हे.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
195	0.03
198	0.01
203	0.02
204	0.02
208	0.04
209	0.02
210	0.07
621	0.02
622	0.01
628	0.16
236	0.06
237	0.11
241	0.07
242	0.03
243	0.03
644	0.04
658	0.04
659	0.01
660	0.03
661	0.04
668	0.09
669	0.04
670	0.02
698	0.01
699	0.14
703	0.06
704	0.02
705	0.03
706	0.02
720	0.04
722	0.01
747	0.01
748	0.03
749	0.01
योग - 34	1.39 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ओड़गीकें मुख्य नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सरगुजा, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक-15/अ-82/2002-2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक) सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील - सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम - ग्राम कालामांजन, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.96 हे.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
246	0.01
247	0.01
248	0.01
249	0.04
282	0.4
285	0.10
286	0.01
297	0.14
298	0.09
299	0.06
300	0.01
304	0.10
305	0.01
699	0.06
700	0.06
701	0.17

	(1)	(2)
	714	0.04
योग -	**17**	**0.96**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ओड़गी जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सरगुजा, दिनांक 28 मई 2003

क्रमांक-17/अ-67/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1) सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील - सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम - ग्राम लटोरी प.ह.नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.81 हे.

	खसरा नं.	**रकबा (हे. में)**
	(1)	**(2)**
	134/1	0.40
	134/2	0.61
	134/3	0.40
	134/4	0.40
योग -	**4**	**1.81**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—नयापारा भूमिगत खदान में एयरसाफ्ट निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर

छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक-1081/वा-1/भू-अर्जन/02/अ/82-98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1) सन् 1894 की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम - गोंदला बहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.10 एकड़

	खसरा नं.	**रकबा (एकड़. में)**
	(1)	**(2)**
	534	0.22
	533	0.45
	532	0.22
	528	0.22
	531	0.22
	527	0.22
	529	0.22
	491	0.35
	490	0.25
	489	0.28
	91	0.60
	90	0.75
	195	0.25
	196	0.25
	190	0.10
	188	0.50
योग-	**16**	**5.10 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है–भूरा जलाशय योजना के दायी मुख्य नगर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1079/वा-1/भू-अर्जन /06/अ/82-01-02.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम - भरुवामुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.45 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
40	0.01
41	0.15
187	0.12
	0.27
42	0.40
147	0.03
	0.43
47	0.09
48	0.03
173	0.04
172	0.01
184	0.04
177	0.20
179	0.09
185	0.04
(1)	(2)
197	0.78
	0.72
192	0.04
198	0.40
199	0.06
144	0.02
कुल योग-	**2.45 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है–भरुवामुड़ा जलाशय योजना उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1082/वा-1/भू-अर्जन /07/अ/82-98-99.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम - भैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.07 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
29	0.07 एकड़
योग-	**0.07 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है–भैरा जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1080/वा-1/भू-अर्जन /07/अ/82-01-02.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - देवभोग

(ग) नगर/ग्राम - देवभोग

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.11 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
42	0.04
43	0.08
23/1	0.35
23/2	0.18
23/3	0.28
24	0.22
25	0.25
38/3	0.07
38/1	0.07
38/2	0.02
39/2	0.54
49/4	0.07
62/2, 64/2, 64/3, 64/5, 65	0.12
63	0.02
55	0.08
56/2	0.28
56/3, 58/4	0.05
56/4, 58/5	0.28
58/2	0.11
योग-	**3.11 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है–आड़पाथर जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1078/वा-1/भू-अर्जन /08/अ/82-01-02.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - देवभोग

(ग) नगर/ग्राम - बाड़ीगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.95 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
203/1	0.30
198, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 200	0.16
202	0.25
203/2	0.24
योग –	**0.95 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आड़पाथर जलाशय योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1077/वा-1/भू-अर्जन /09/अ/82-01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - देवभोग

(ग) नगर/ग्राम - बाड़ीगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.10 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
29/10	0.07
30/3	0.27
30/2	0.17
137	0.38
136/2	0.10
128/1, 2, 3, 135/1, 2, 3,	0.04
149	0.12
147/2 148	0.13
147/3	0.13
149/1	0.10
297/1	0.10
297/2	0.09
155/3	0.08
152	0.10
296/3	0.12
149/1,150	0.10
योग–	2.10 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आड़पाथर जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 1259/वा-1/भू-अर्जन /05/अ/82-01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम - आड़पाथर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.35 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
179	0.40
180/1 181/2 182/1 184/2 185/2 198/2 199/2 201/1 203/2	0.85
181/4	0.10

182/2	
योग	1.35 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आड़पाथर जलाशय योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 1258/वा-1/भू-अर्जन /अ/82-01-02.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन —

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम - फूलझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 16.05 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
102/2	0.07
102/3	0.40
82/9	
100	2.21
104/2	
104/3	0.40
82/19	0.25
97	0.20
96	0.29
82/7	
82/13	0.10
92	
82/21	0.44
98	4.95
103	2.00
82/12	0.05
82/50	2.66
95/3	0.03
योग	16.05 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सलप जलाशय योजना के डूबान के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 1257/वा-1/भू-अर्जन /03/अ/82-02-03.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन —

(क) जिला - रायपुर

(ख) तहसील - गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम - भरुवामुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.73 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़. में)
(1)	(2)
219/2 टु.	0.03
2141, 215/1	0.07
208/1, 210/1	0.42
223/1, 223/2	0.03
224/1 टु.	0.18
योग	0.73 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आड़पाथर जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी.के.खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 5 नवम्बर 203

क्रमांक/8030 /भू-अर्जन/05/अ-82/2003-04.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील - दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम - कतियाररास, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29	0.21
33	0.06
34	0.14
37	0.04
38	0.33
41	0.10
42	0.31
64	0.34
76	0.42
77	0.14
121	0.02
267	0.07
योग -	2.34 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है– दन्तेवाड़ा से फरसपाल (पांडेमुर्गा) पहुंच मार्ग हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय दन्तेवाड़ा एवं भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दंतेवाड़ा, दिनांक 5 नवम्बर 2003

क्रमांक/ 8029 /04/अ-82/भू-अर्जन/2003-04.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला - दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील - दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम - भोगाम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132	0.06
200	0.35
202	0.06
132/2	0.08
234	0.03
180	0.06
198	0.04
156	0.05
117/2	0.01
197	0.05
140	0.13
173	0.01
232	0.18
130	0.05
270	0.19
176	0.01
177	0.17
89	0.05

(1)	(2)
274	0.03
275	0.26
277	0.04
128	0.04
272	0.14
90	0.07
131	0.03
154	0.1
133/1	0.25
238	0.01
239	0.01
203	0.05
144	0.23
145	0.01
159	0.01
201	0.07
129	0.07
157	0.28
271	0.13
196	0.06
170	0.03
179	0.35
229	0.25
योग -	**4.17 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – भोगाम सिंचाई उद्वहन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एम.एस. पैकरा

कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

क्रमांक/852/भू-अर्जन/अ.वि.अ./44 अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - कोटरीपानी, प.ह.नं. 109

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
342	0.07
343	0.08
345	0.20
347	0.11
348	0.08
योग– 05	**0.54 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – कोटरी जलाशय क्र. 1 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक/837/भू-अर्जन/अ.वि.अ./21 अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि

उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - खट्टी, प.ह.नं. 113/60

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.35 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398	0.04
391.	0.10
393	0.10
384	0.11
योग- 04	0.35 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है -अपर जोंक परियोजना के सेनभाठा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक/838/भू-अर्जन/अ.वि.अ./22 अ/82/सन् 2002-2003.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - बिरकोनी, प.ह.नं. 139

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
269	0.02
277	0.01
योग- 02	0.03 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - कोडार जलाशय परियोजना के बिरकोनी माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक 839/भू-अर्जन/अ.वि.अ./32 अ/82/सन् 2002-2003.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - खट्टी, प.ह.नं. 113/60

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
901	0.03
903	0.05
842	0.02
902	0.04
915	0.16
922	0.05
904	0.07
913	0.09
931	0.01
961	0.02
1052	0.05
1064	0.01

(1)	(2)
1067	0.01
962	0.07
990	0.03
959	0.14
950	0.06
1065	0.03
984	0.03
980	0.02
988	0.01
979	0.02
1102	0.02
976	0.03
975	0.02
970	0.04
971	0.01
972	0.01
973	0.01
976	0.01
994	0.08
995	0.02
1105/1	0.10
996	0.01
1043	0.01
1101	0.01
640	0.01
641	0.05
1044	0.03
1045	0.01
1051	0.03
1049	0.05
1072	0.05
1066	0.02
650	0.12
637	0.01
638	0.05
639	0.01
642	0.01
648	0.01
651	0.10
665	0.01
649	0.01
663	0.04
659	0.04
658	0.02
677	0.01
510	0.06
502	0.11
योग - 59	**2.31 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – अपर जोंक परियोजना के खट्टी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है .

महासमुंद, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक/840/भू-अर्जन/अ.वि.अ./15 अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - फुलवारी खुर्द, प.ह.नं. 108

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.14
योग 1	**0.14 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – चंडी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्र.4 के निर्माण हेतु .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक/841/भू-अर्जन/अ.वि.अ./अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - पाली, प.ह.नं. 126/73

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90	0.02
91	0.07
223	0.02
89	0.02
91	0.13
92	0.02
85	0.01
91	0.07
94	0.01
84	0.02
91	0.07
95	0.02
69	0.04
91	0.10
107	0.04
(1)	(2)
68	0.05
91	0.04
108	0.05
117	0.01
120	0.02
91	0.04
(1)	(2)
56	0.01
91	0.02
118	0.01
62	0.01
119	0.01
91	0.05
61	0.01
योग- 09	**1.09 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – सोरम सिंघी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक/842/भू-अर्जन/अ.वि.अ./34 अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - घुंचापाली, प.ह.नं. 118/65

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
222	0.07
306	0.02
223	0.30
301	0.21
302	0.14
योग– 05	0.74 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – चंडी डोंगरी जलाशय के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

सरगुजा, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक -8 अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1) सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - सरगुजा
- (ख) तहसील - सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम - बिसुनपुर, प.ह.नं. 58
  गोपीपुर, प.ह.नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.67 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
502	0.13
506	0.02
671	0.03
567	0.02
568	0.03
676	0.08
569	0.03
606	0.06
570	0.02
577	0.01
578	0.02
589	0.05
590	0.04
595	0.21
598	0.06
605	0.09
607	0.02
642	0.05
646	0.09
688/2	0.06
690	0.09
789	0.05
791	0.10
योग 23	1.36

ग्राम गोपीपुर

(1)	(2)
509	0.02
508	0.06
120	0.03
119	0.01
124	0.06
133	0.03
144	0.06
499	0.01
501	0.03
योग 9	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। कल्याणपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डा. एस.के.राजू)

कलेक्टर सरगुजा एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 13अक्टूबर 2003

क्रमांक/847/भू-अर्जन/अ.वि.अ./23 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - अमनपुरी, प.ह.नं. 113/60

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127	0.05
योग- 1	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – अपर जोंक परियोजना के परसुली माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/846/भू-अर्जन/अ.वि.अ./26 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - फुलवारी खुर्द, प.ह.नं. 108

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.36
55	0.14
70/5	0.03
70/8	0.10
72	0.06
80	0.07
75	0.27
181	0.12
182	0.03
209	0.06
200	0.01
190	0.07
201	0.09
202	0.07
207	0.05
195	0.07
198/1	0.08
184/1	0.03
265	0.04
194	0.04
192	0.10
264	0.02
योग- 22	1.91 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – चंडी डोंगरी जलाशय के अन्तर्गत आने वाली शाखा नहर क्र. 5 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/848/भू-अर्जन/अ.वि.अ./25 अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894)

की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - फुलवारीकला, प.ह.नं. 109

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79	0.06
264	0.02
80	0.05
81	0.16
84	0.10
83/1	0.32
158	0.09
157	0.15
155	0.28
141	0.14
142	0.09
125	0.04
136	0.05
133	0.02
265	0.09
266	0.09
271	0.15
270	0.05
योग- 18	1.95 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – चंडी डोंगरी जलाशय के अन्तर्गत आने वाली शाखा नहर क्र. 5 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 1 नवम्बर 2003

क्रमांक/895/भू-अर्जन/अ.वि.अ./30 अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - गांजर, प.ह.नं. 103

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
216	0.02
216	0.01
योग- 1	0.03 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – गांजर जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 1 नवम्बर 2003

क्रमांक/894/भू-अर्जन/अ.वि.अ./16 अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - घुंचापाली, प.ह.नं. 118/65

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.88

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
281	0.24
287	0.03
288	0.22
334	0.17
335	0.12
336	0.10
योग- 6	0.88 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – चंडी डोंगरी जलाशय के अन्तर्गत आने वाली शाखा नहर क्र. 3 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

महासमुंद, दिनांक 6 नवम्बर 2003

क्रमांक/902/भू-अर्जन/अ.वि.अ./17अ/82/सन् 2002-2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - महासमुंद

(ख) तहसील - महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम - खोपली, प.ह.नं. 118/65

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.75 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
581	0.17
498	0.14
499	0.02
500	0.01
495	0.29
490	0.12
योग- 6	0.75 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है – चंडी डोंगरी जलाशय के अन्तर्गत आने वाली शाखा नहर क्र. 4 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मनिन्दर कौर द्विवेदी

कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक/1571/ले.पा./भू-अर्जन/2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - भेड़ी, प.ह.नं.-13

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.84 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
544	0.06
418	0.06
419	0.08
449	0.17
448	0.22
451	0.20
447	0.26
445	0.01

(1)	(2)
444	0.41
443	0.22
420/3	0.02
420/4	0.04
420/1	0.03
453/2	0.06
कुल योग - 14	1.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के भेड़ी माईनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक/1571/ले.पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - शिकारीटोला, प.ह.नं.-18

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.20 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
79	0.35
80	0.05
78	0.04
77	0.01
64	0.16
65	0.11
67	0.09
26	0.02
27	0.21
28	0.10
32	0.05
33	0.01
योग - 12	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के भेड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक/1571/ले.पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - सुरेगांव, प.ह.नं.-14

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 16.11 एकड़

1. भेड़ी माईनर में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1332	0.10
1331	0.14
1330	0.38
1288	0.05
1289	0.10
1367	0.50
1267	0.02
1268	0.15

(1)	(2)
1280	0.23
1279	0.08
1269/1	0.05
1270	0.28
1271	0.27
1263	0.14
1254	0.19
1255	0.09
1257	0.10
1256	0.13
योग - 18	3.00

2. सुरेगांव माईनर क्र-2 में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1312	0.15
1100	0.33
1311	0.04
1313/1	0.06
1118	0.21
1117	0.02
1121	0.45
1116/1	1.07
1035	0.30
1026	0.14
1006	0.03
997	0.03
1034	0.27
1021/2	0.01
1021/1	0.05
1033	0.03
1007	0.10
1022	0.10
1004	0.13
981	0.15
966	0.04
968	0.12
980	0.02
1008	0.16
998	0.28
994	0.15
987	0.27
988	0.25
984/1	0.41
983	0.19
982/1	0.15
योग- 31	5.71 एकड़

3. सुरेगांव माईनर क्र-4 में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
900	0.05
899	0.29
696	0.04
711	0.19
713	0.22
712	0.15
758	0.03
759	0.76
761	0.40
760/1	0.10
760/2	0.21
760/3	0.21
789	0.14
770	0.04
771	0.19
775	0.19
776	0.15
योग- 17	3.36 एकड़

4. केंवट नवागांव माईनर क्र.-1 में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
911	0.05

(1)	(2)
912	0.12
901/1	0.13
901/2	0.38
696	0.32
709	0.13
710	0.07
708	0.16
707	0.25
705/1	0.24
717	0.01
706	0.02
715	0.32
720	0.23
739	0.14
738	0.17
740	0.17
741	0.22
737	0.10
734	0.08
735	0.31
729	0.12
728/2	0.23
728/3	0.02
728/4	0.12
728/5	0.06
719	0.01
योग- 27	4.04 एकड़
कुल योग-	16.11 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के सुरेगांव माइनर क्र. 1, सुरेगांव माईनर क्र.2, सुरेगांव माइनर क्र. 4 एवं केंवट नवागांव माईनर क्र. 1 नहर निर्माण हेतु।-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक/1571/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - केंवट, प.ह.नं.-14

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.89 एकड़

1. केंवट नवागांव माईनर क्र.-1 में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
787	0.32
759	0.07
786	0.20
782	0.23
780	0.60
760	0.05
761	0.08
762	0.05
योग- 8	**1.60**

2. केंवट नवागांव माईनर क्र-2 में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1250	0.77
1256/1	0.20
1252	0.10
1229	0.17
1228/1	0.17
833/1	0.11

(1)	(2)
1228/2	0.15
833/2	0.10
1221	0.07
1217	0.25
1222	0.13
1219	0.29
1216/2	0.03
826/2	0.19
1215	0.08
1213	0.04
1214	0.04
830	0.12
570/2	0.02
571	0.04
572/1	0.03
572/2	0.03
834	0.08
573	0.05
831	0.11
832	0.15
844	0.14
557/2	0.07
1255	0.20
1230/1	0.30
827/1	0.28
570/3	0.25
1248/1	0.03
योग- 33	4.79 एकड़

3. तेलीटोला माईनर में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1250	0.27
1264	0.03
1262	0.11
1263	0.08
1267	0.04
1260	0.18
1259/1	0.12
1259/3	0.20
1230/6	0.45
1179/1	0.7
1268	0.01
1261	0.10
1235/1	0.40
1235/2	0.39
1233	0.17
1319	0.33
1321/1	0.11
1321/2	0.23
1322	0.01
1326	0.03
1181	0.47
1327	0.10
1182	0.06
1180	0.02
1186	0.12
1169	0.23
1170/1	0.27
1170/2	0.21
1174/2	0.22
1176	0.17
1177	0.21
1323	0.09
योग- 32	5.50 एकड़

कुल योग- 11.89 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के केंवट नवागांव माईनर क्र. 1, केंवट नवागांव माईनर क्र. 2, तेली टोला माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक/1571/ले.पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - तेलीटोला, प.ह.नं.-18

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.57 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
71	0.17
76	0.10
78	0.10
79	0.06
81	0.16
80	0.08
82	0.06
87	0.50
94	0.13
96	0.05
97	0.32
98	0.14
99/2	0.23
101	0.21
102	0.06
77/1	0.10
77/1	0.10
कुल- 17	2.57 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के तेलीटोला माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक/1571/ले.पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - मनकी, प.ह.नं.-18

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.66 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
152	0.06
153	0.06
154	0.37
155	0.18
159	0.11
157	0.18
158	0.35
171	0.05
172	0.12
173	0.18
कुल- 10	1.66 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के तेलीटोला माईनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - बड़गांव, प.ह.नं.-23

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.61 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
907/1	0.05
907/2	0.02
910/1	0.10
908	0.19
559	0.06
913	0.18
914	0.12
916	0.12
880	0.25
876/2	0.33
875	0.81
789	0.42
788	0.22
785	0.50
782	0.18
754	0.10
753	0.43
265	0.22
269	0.23
288	0.06
285	0.05
284	0.08
286/2	0.07
287	0.10
283	0.02
282	0.10
568	0.18
567	0.32
566	0.16
560/1	0.09
595	0.01
561	0.25
564	0.01
565	0.02
594	0.22
297	0.17
593	0.11
592	0.35
591	0.07
603	0.40
547	0.34
546	0.19
545	0.04
548	0.02
294/4	0.01
483	0.33
477	0.21
479	0.19
478	0.25
476	0.22
489	0.01
596	0.06
597	0.26
558	0.03
553	0.24
536/1	0.33
536/2	0.02

(1)	(2)
536/3	0.05
317/1	0.19
316	0.11
315	0.18
331	0.22
330	0.12
345	0.13
329	0.16
344	0.09
555/2	0.08
585/1	0.14
योग :	**11.61 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - दुर्ग
- (ख) तहसील - डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम - डारागांव, प.ह.नं.-23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.36 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
218	0.05
219	0.19
220	0.16
221	0.05
222/1	0.90
222/2	0.26
354	0.09
360	0.07
361	0.04
362	0.05
363	0.02
350/2	0.05
118	0.28
116	0.13
349/3	0.02
योग :	**2.36 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - दुर्ग
- (ख) तहसील - डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम - खड़ेनाडीह, प.ह.नं.-23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.07 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
6	0.42
12	0.13

(1)	(2)
13	0.02
14/1	0.59
14/2	0.49
4	0.04
(1)	(2)
5/1	0.18
5/2	0.20
योग :	2.07 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला - दुर्ग
- (ख) तहसील - डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम - बिजोरा, प.ह.नं.-23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.23 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
217	0.38
325	0.05
218	0.22
327	0.18
219	0.18
226	0.13
344	0.20
(1)	(2)
227	0.16
228	0.13
229	0.01
351	0.60
339	0.08
330	0.20
329	0.14
328/2	0.18
414	0.06
415	0.15
416	0.17
450	0.22
326	0.16
449	0.16
454	0.39
453	0.19
214/2	0.17
214/4	0.02
342/3	0.41
343/1	0.33
343/2	0.20
346	0.31
332	0.18
331	0.27
योग :	6.23 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा

6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - नारगी, प.ह.नं.-23

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.21 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
234	0.18
235	0.28
236	0.24
273	0.29
274	0.14
275	0.15
277	0.23
278	0.06
279	0.17
261	0.47
योग :	2.21 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - रायपुरा, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.22 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
417/1	0.03
418	0.33
420	0.37
423	0.31
897	0.08
427	0.22
803	0.01
804	0.18
807	0.01
809	0.50
808	0.01
829	0.17
862	0.22
913	0.13
912	0.04
911	0.03
908	0.08
917	0.09
422	0.31
894/2	0.16
910	0.14
832	0.36
863	0.11
883	0.15
894/1	0.18
योग :	4.22 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला - दुर्ग
- (ख) तहसील - डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम - रायपुरा, प.ह.नं.-24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 150 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
567 925/1	0.04
570	0.39
584/5	0.06
585	0.12
590	0.19
591	0.30
609	0.22
607/2	0.03
608/2	0.15
योग :	1.50 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - दुर्ग
- (ख) तहसील - डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम - पापरा, प.ह.नं.-20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.65 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
221/1	0.38
222/2	0.22
226	0.28
229/1	0.10
232	0.19
233	1.27
231/1	0.13
231/2	0.08
योग :	2.65 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - दुर्ग
- (ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - रायपुरा प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.66 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
267	0.07
303	0.34
302	0.55
401	0.22
402/1	0.12
440	0.27
441	0.06
495	0.29
442	0.19
489	0.32
490	0.04
496/1	0.C
496/2	0.01
511	0.07
512	0.10
योग :	2.66 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - मुड़खुसरा, प.ह.नं.-20

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.74 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
121	0.11
122/2	011
174	0.35
175	0.23
176	0.33
448	0.47
444	0.55
739	0.36
740	0.29
741	0.10
742	0.66
747	0.78
746	0.04
445	0.03
762	0.32
763	0.05
761	0.30
752	0.46
751	0.19
753	0.01
योग :	5.74 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - कोचेरा, प.ह.नं.-21

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 22.20 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
26/6	0.01
27/1	0.11
28/1	0.04
31/1	0.28
111	0.03
30	0.54
33	0.01
773/2	0.01
34	1.30
43/3	0.39
43/1	0.21
737	0.08
44/1	0.07
44/2	0.42
45/1	0.34
45/3	0.06
45/2	0.27
48	0.07
49	0.23
716	0.25
50	0.01
51	0.26
55	0.04
107	0.47
54	0.26
108	0.04
559	0.45
558/2	0.20

(1)	(2)
558/3	0.12
575	0.06
719	0.07
718	0.02
730	0.05
715	0.39
712	0.11
736	0.05
739	0.02
738	0.13
770	0.52
749	0.23
771	0.04
769	0.21
741	0.01
768	0.16
766	0.24
746	0.01
764	0.17
765	0.02
747	0.03
763	0.02
748	0.13
678/1	0.49
678/2	0.32
677	0.15
676	0.09
674	0.04
138	0.55
675	0.42
139	0.04
673	0.04
672	0.39
671	0.12
1033	0.12
1034	0.28

(1)	(2)
1090	0.13
1036	0.11
1035	0.13
1063/1	0.32
1063/2	0.34
780/1	0.17
1064	0.29
1059	0.39
1065	0.40
1070/1	0.07
123/3	0.23
1071	0.29
1083	0.36
1091/1	0.58
1092	0.39
1155/1	0.09
1155/2	0.04
1130/3	0.37
1130/7	0.34
1130/10	0.35
137	0.36
112/1	0.03
136	0.14
126/2	0.15
128	0.13
127	0.13
129/1	0.34
124/2	0.01
123/1	0.36
123/2	0.06
121	0.02
372	0.18
396/1	0.20
126/1	0.08
735	0.06
732/1	0.19
1156/5	0.18
1156/3	0.14
1156/4	0.38
52/1	0.28
57/2	0.46
373/4	0.10
52/2	0.12
373/2	0.06
373/3	0.07
योग :	22.20 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1768/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - फरदडीह, प.ह.नं.-20

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 16.45 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.59
2	0.30
3	0.13
5	0.40
14	0.06

(1)	(2)
19	0.01
15	0.01
18	0.01
544	0.06
585	0.20
16	0.21
42	0.06
40	0.04
41	0.32
38	0.05
39	0.30
37/4	0.02
54	0.18
55	0.21
57/1	0.36
56	0.13
58	0.31
94	0.74
93	0.56
178	0.43
92	0.20
95/2	0.09
117	0.55
188	0.38
127	0.23
122	0.36
124/2	0.41
128	0.02
125	0.11
545	0.38
547	0.37
586	0.15
584/1	0.35
582	0.05
598	0.06
599	0.13

(1)	(2)
607	0.27
608	0.13
609	0.22
610	0.02
615/1	0.01
614	0.01
612	0.07
650	0.35
651	0.13
649	0.31
648	0.31
647	0.33
665	0.02
666	0.45
685	0.07
684	0.28
683/1	0.21
683/3	0.11
682	0.17
681/1	0.21
683/3	0.11
682	0.17
681/748	0.22
681	0.18
719	0.46
720/2	0.51
720/2	0.14
721	0.35
683/2	0.21
687/2	0.01
17/1	0.20
17/2	0.28
199/1	0.04
119/2	0.35
योग :	16.45 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2003

क्रमांक/1515/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - मनकी, प.ह.नं.-18

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.42 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/2	0.11
6	0.13
14	0.25
28	0.36
25	0.05
24	0.08
23	0.06
34	0.10
35	0.05
36/1	0.11
42	0.21
41	0.26
63	0.56
66/2	0.17
66/1	0.03
67	0.15
79	0.11
77	0.02
78	0.10
76	0.39
93	0.11
27	0.01
योग :	3.42 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपार्ट परियोजना के मनकी लघु-नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2003

क्रमांक/1515/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अंन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - भालूकोन्हा, प.ह.नं.-17

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.33 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
768/1	0.09
769/1	0.01
930/1	0.10
931	0.26
1035	0.15
1048	0.17
1049/2	0.24
1049/1	0.09

(1)	(2)
1052	0.02
1052	0.20
योग :	**1.33 एकड़**

(2) सार्वजनिकप्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के कठिया लघुनहर क्र.1 एवं 3 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2003

क्रमांक/1515/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - केवटनगांव, प.ह.नं.-14

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.51 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1083	0.06
1122/2	0.10
112/3	0.11
1121	0.38
1120	0.14
1119	0.14
1117	0.58
योग :	**1.51 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के मनकी लघु नहर नर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2003

क्रमांक/1515/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - कठिया, प.ह.नं.-17

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.86 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
69	0.22
416/1	0.20
481/1	0.07
499/6	0.08
155	0.01
443/1	0.19
343/1	0.19
343/3	0.13
113	0.12
459/1	0.15
401/1	0.01
594	0.17
567	0.46
322	0.12
514	0.01
333/1	0.10
335	0.19

(1)	(2)
412	0.26
63	0.06
152	0.01
297/1	0.22
114/1	0.20
387/2	0.14
414/1	0.07
414/3	0.02
676/3	0.02
676/1	0.13
181/1	0.15
327/1	0.22
14/1	0.16
16/1	0.09
338	0.43
417	0.04
294	0.26
343/2	0.32
482/2	0.10
477/2	0.32
402/2	0.01
482/1	0.06
328	0.04
153	0.15
337	0.36
384	0.08
562/3	0.20
265	0.15
297/2	0.10
510	0.23
390	9.08
410	0.24
406	0.10
588/2	0.36
407	0.37
464	0.30
477/1	0.21
561/2	0.01
295	0.24
489/1	0.11
486	0.12
334	0.09
408	0.27
416/2	0.10
485/3	0.11
12/2	0.19
559/2	0.22
415	0.22
485/2	0.12
543	0.17
545	0.18
182	0.22
385	0.28
296/2	0.23
558	0.33
293	0.24
520/1	0.48
339	0.15
181/2	0.12
14/2	0.10
327/2	0.09
16/2	0.12
67	0.17
405/1	0.01
123	0.36
387/1	0.14
386	0.01
180/1	0.11
180/4	0.01
598	0.18
13	0.01
15	0.10

490	0.10
419	0.09
465	0.02
459/2	0.15
(1)	(2)
292	0.01
512	0.09
513	0.20
515/1	0.22
154	0.20
509	0.33
559/1	0.22
559/3	0.45
12/3	0.01
480	0.31
62	0.10
323	0.49
180/3	0.24
562/4	0.15
115	0.20
595	0.20
466/1	0.15
1	0.08
9	0.16
5	0.21
4	0.14
84	0.08
योग :	**18.86 एकड़**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के कठिया लघु नहर क्र. 1,2,3 एवं 4 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/667/प्र.1/भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - भोजेपारा, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.17 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114/1	0.04
114/2	0.03
120	0.04
124	0.03
125	0.01
235	0.02
योग	**0.17 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/658/प्र.1/भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - सोनपुरी, प.ह.नं.-21

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.14 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88	0.10
89	0.04
योग	0.14 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत बरगांव सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/668/प्र.1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - खपरी, प.ह.नं.-16

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.15 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
612	015
योग :	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- साजा खम्हरिया मार्ग पर खपरी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी साजा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/657/प्र.1/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - कांचरी, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.14 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
402	0.04
403	0.03
404	0.04
599/2	0.06
661/2	0.05
599/3	0.03
661/3	0.05
612	0.03
968	0.04
613	0.01
615	0.07
638	0.07
639	0.04
642	0.07
643	0.03
646	0.08
647/1	0.01
665	0.04
687	0.07
693	0.06
694	0.06

959/1	0.01
960	0.05
965	0.02
974	0.03
(1)	(2)
975	0.03
योग	1.14 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भोजेपारा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/658/प्र.1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - कुटरू, प.ह.नं.-21

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.59 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.01
6	0.09
12	0.03
10	0.07
11	0.01
30/1	0.03
13	0.04
114	0.01
115	0.05
125/1	0.04
125/2	0.02
126	0.05
23/3	0.14
योग	0.59 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत कुटरू सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/659/प्र.1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - बरगांव, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.83 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.01
6	0.04
7	0.08
8	0.06
14	0.05
13/1	0.02
15	0.05
16	0.11
34	0.21
58	0.20
योग	0.83 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत बरगांव सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/660/प्र.1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - मोहगांव, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.16 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.02
16/1	0.14
योग	**0.16 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/661/प्र.1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - अकलवारा, प.ह.नं.-26

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.92 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
445	0.02
446	0.03
450	0.01
909	0.02
461	0.08
462	0.05
463/3	0.04
463/2	0.02
465	
469	0.06
470	0.06
471	0.01
476	0.13
585	0.05
586	0.05
665	0.09
525	0.02
584	0.05
664	0.02
526	0.04
528	0.03
527	0.05
531	0.04
532	0.01
533/1	0.03
533/2	0.05
578	0.05
579	0.02
581	0.03
582	0.03
583	0.03
667	0.03

(1)	(2)
580/2	0.07
668	0.03
911	0.12
960	0.05
961	0.02
966	0.06
991	0.02
992	0.03
965	0.05
993/3	0.12
योग	1.92 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत अकलवारा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/662/प्र.1/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - तेंदुभाठा, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.40 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
318	0.05
319	0.03
321	0.06
338	0.17
528	0.03
529	0.03
532	0.02
543	0.01
536	0.13
540	0.08
541	0.03
564	0.07
542/1	0.04
542/5	0.03
542/6	0.06
542/4	0.04
535	0.04
547/2	0.01
566	0.04
567	0.02
636	0.11
637	0.11
638	0.04
337/6	0.05
533	0.01
546	0.09
योग	1.40 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत तेन्दुभाठा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/663/प्र.1/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - कांचरी, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.03 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435	0.15
438	0.11
439	0.01
458	0.05
465	0.03
466	0.02
472	0.02
473	0.09
474/1	0.03
475	0.04
523	0.03
524/1	0.04
526	0.01
527	0.06
528	0.05
544	0.08
545/1	0.06
546	0.15
योग	**1.03 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/664/प्र.1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - हरडुवा, प.ह.नं.-26

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.97 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
469/1	0.11
587	0.13
488	0.15
542/1	0.47
586	0.13
486	0.04
536	0.08
543	0.06
485	0.06
595	0.10
537	0.04
योग	**0.97 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत अकलवारा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/665/प्र.1/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - मौहाभाठा, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.58 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
251	0.07
261	0.06
262	0.02
265/2	0.04
263/1	0.05
399/1	0.06
263/2	0.04
399/2	0.04
265/3	0.11
301	0.09
368	0.02
287	0.11
288	0.01
299	0.01
291	0.02
229	0.01
292/6	0.06
295	0.01
296/1	0.05
296/2	0.05
300	0.01
349	0.12
401	0.04
350/1	0.08
350/2	0.02
351	0.02
352	0.08
384	0.03
383	0.03
397/1	0.02
397/3	0.03
398	0.08
400	0.02
430	0.03
434	0.04
योग	**1.58 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत तेन्दुभाठा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/666/प्र.1/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - साजा

(ग) नगर/ग्राम - तेन्दुभाठा, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.69 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
625	0.09
682	0.19
686	0.06
688/2	0.03
689	0.05
690	0.04
694	0.05
693	0.09
700/1	0.04
692	0.05
योग	**0.69 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक/1393/प्र.अ.वि.अ.-1/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन --

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम - खामतराई, प.ह.नं.-6

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.98 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
633	0.08
616	1.03
632	0.23
614	0.56
627	0.19
624	0.68
619	0.84
618	0.16
615/2	0.32
615/3	0.30
117/1	0.18
1175	0.02
1174	0.04
1173	0.07
1172	0.04
1177	0.05
योग	4.98 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- कन्यांडबरी माइनर का निर्माण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 23 अगस्त 2003

क्रमांक/1149/प्र.1/अ.वि.अ/2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 (एक)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन --

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम - कोलिहापुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.21 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34/1	0.04
38/1	0.10
34/2	0.03
34/3	0.09
39	0.03
40	0.06
63	0.03
107	0.02
64	0.03
67	0.09
127	0.02
85	0.10
87	0.05
128	0.07
89	0.06
133	0.07
105	0.08
106	0.06
109	0.02

(1)	(2)
112	0.02
115	0.02
116	0.02
198	0.03
118	0.03
184	0.10
190	0.06
189	0.06
188	0.05
1210	0.09
199	0.06
206	0.02
207	0.06
215	0.25
208	0.16
209	0.06
213	0.01
214	0.06
योग :	**2.21 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- पिसगांव उदवहन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है।

दुर्ग, दिनांक 23 अगस्त 2003

क्रमांक/1147/प्र.1/अ.वि.अ./2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 (एक)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन --

(क) जिला - दुर्ग

(ख) तहसील - दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम - पिसेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.96 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
143	0.13
254	0.10
257	0.13
258	0.01
259	0.16
261/1	0.01
261/2	0.01
263/2	0.07
263/1	0.10
265	0.05
268	0.05
469	0.01
470	0.04
494/1	0.06
496	0.03
499	0.05
500	0.09
501	0.16
510	0.01
504	0.13
506	0.08
508	0.12
509	0.09
569	0.02
511	0.03
568/1	0.02
570	0.01
573/1	0.01
573/2	0.01
575	0.04
576	0.13
योग :	**1.96**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- पिसगांवं उदवहन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

आई.सी.पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव

कार्यालय, कलेक्टर जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2003

क्रमांक/917/भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम सन् 1984 (क्रमांक-1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला - रायगढ़

(ख) तहसील - रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम - कांटाहरदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.767 हे.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88/4 क	0.016
88/3	0.028
88/2 क	0.028
88/1	0.032
132/3	0.040
132/4	0.049
133/2	0.045
134/3	0.049
135	0.065
136/1	0.024
137	0.032
202	0.085
201	0.065
212	0.024
213	0.049
209	0.036
207/1 क	0.028
207/1 ख	0.028
315/2	0.024
316	0.020
314	0.036
313/1	0.032
313/2	0.036
312	0.061
294/1	0.020
298	0.008
297/1	0.36
296/2	0.016
296/1	0.028
286/4	0.045
286/1	0.028
285/1	0.036
276/2	0.020
279/1	0.020
278/3	0.028
276/5	0.061
277/2	0.061
277/1	0.040
268/1	0.006
266/2	0.061
268/1	0.049
268/2	0.020
267	0.045
243/3	0.089
245/2	0.045
246/2	0.073
योग- 46	1.767 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- मांड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2003

क्रमांक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायगढ़

(ख) तहसील - घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम - सलिहाभांठा प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.773 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
577/1	1.773 हे.
योग :	**1.773 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- कृषि उपज मंडी प्रांगण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

रायगढ़, दिनांक 18 सितम्बर 2003

क्रमांक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 142/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायगढ़

(ख) तहसील - खरसिया

(ग) नगर/ग्राम - बरभौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.441 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/4	0.142
24/7	0.214
24/9	0.065
24/14	0.20
योग- 4	**0.441 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- एडू नहरपाली मार्ग के कि.मी. 03/4 पर पहुंच मार्ग हेतु।

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 18 सितम्बर 2003

क्रमांक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 141/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - रायगढ़

(ख) तहसील - खरसिया

(ग) नगर/ग्राम - कुर्रु

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.353 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
582/1 से	0.042
587 से	0.189
588 से	0.065

(1)	(2)
589 से	0.057
योग- 4	0.353 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- बृन्दावन रिलो कुर्रू मार्ग के कि.मी. 4/6-8 पर मांड सेतु पहुंच मार्ग हेतु।

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टबूर 2003

क्रमांक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 130/अ-82/2002-2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - रायगढ़

(ख) तहसील - खरसिया

(ग) नगर/ग्राम - खैरपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.169 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
373/2	0.109
308/1	0.024
308/3	0.036
योग- 3	0.169 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु।

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सुबोध कुमार सिंह,

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला जशपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2002-2003.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - जशपुर

(ख) तहसील - कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम - हल्दीमुण्डा प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.625 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/7	0.052
6	0.068
39/3	0.064
144	0.012
15/5 ख	0.052
90	0.012
145	0.016
16/3	0.052
42	0.081
57/1	0.044
88	0.032
165	0.076
186	0.081
14	0.040
187	0.016
3	0.040
58/2	0.048
164	0.068
24	0.016

(1)	(2)
44	0.040
39/1	0.081
119/1	0.097
2/12	0.040
16/1 17	0.060
155	0.081
21/1	0.137
69	0.024
5/1	0.048
41	0.028
58/1	0.052
87	0.024
157	0.068
योग- 33	**1.625 हे.**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- लोवर सीरी व्यपवर्तन योजना के हल्दीमुण्डा शाखा नहर क्रमांक 1, 2, 3 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

जशपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जशपुर

(ख) तहसील - कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम - हल्दीमुण्डा प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 8.868 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/4	0.703
2/3	0.243
2/14	0.045
186	0.081
103	0.316
120	0.024
179	0.093
205	0.182
87	0.081
132	0.477
188/2	0.493
185	0.081
203	0.263
127	0.251
104	0.032
95	0.388
98/10	0.186
115	0.186
128	0.097
207/3	0.247
207/2	0.404
129/	0.036
189	0.109
187	0.509
184	0.412
207/4	0.008
188/1	0.012
119/1	0.585
94	0.142
102/1	0.429
119/2	0.049
168	0.049
116	0.065
207/5	0.052

(1)	(2)
131	0.008
190/1	0.028
182	1.483
183	0.008
योग- 38	8.868 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- लोवर सीरी व्यपवर्तन योजना के बायी मुख्य नहर चैन क्रमांक 309 से 397 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

जशपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जशपुर

(ख) तहसील - कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम - रानीकोम्बो, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.766 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.567
29	0.016
49	0.231
52/4	0.045
277/2	0.089
259/1	0.162
282/2	0.024
263/6	0.097
276	0.043
280	0.0[illegible]6
281/2	0.0[illegible]4
41	0.089
50	0.1[illegible]5
53	0.235
246	0.073
259/2	0.162
262	0.105
268	0.065
278	0.040
283/1	0.0.32
28	0.0[illegible]4
47	0.251
52/3	0.045
55	0.2[illegible]3
248	0.2[illegible]9
259/3	0.145
267	0.016
269/2	0.073
279	0.117
272	0.243
योग - 29	3.766 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- चरईडांड बगीचा पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. अनन्त, कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

क्रमांक 1247/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - सक्ती

(ग) नगर/ग्राम - सकरेली, प.ह.नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.032 हक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
781/7	0.024
1252/76	0.008
योग : 2	0.032 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सकरेली डि.ब्यू. निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

क्रमांक 1248/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - सक्ती

(ग) नगर/ग्राम - सकरेली, प.ह.नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.275 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
872	0.093
874/2	0.150
873	0.032
योग : 3	0.275 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- सकरेली डि.ब्यू. निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1236/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम - चिस्दा, प.ह.नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.228 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2740/1	0.061
2723	0.065
2721/2	0.049
2721/3	0.053
योग - 4	0.228 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- हसोद वितरक नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1237/सा-1/सात.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील - चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम - भंवरेली, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.040 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
251/6	0.032
289	0.008
योग : 2	0.040 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- लखालह डि.ब्यू. के माइनर न. 5 निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1238/सा-1/सात.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –
- (क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील - चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम - सोनादह, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.105 ह

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1054	0.032
1304/2	0.073
योग : 2	0.105 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1239/सा-1/सात.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -
- (क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील - चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम - बंसुला, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.344 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1054/4	0.061
252/7	0.049
252/2	0.012
246	0.053
276/2	0.053
134/5,3	0.028
134/11	0.020
171/1	0.0[illegible]
योग :	0.344 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- बंसुला माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1240/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम - करनौद, प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.335 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1667/2	0.040
1669/1	0.016
1661/5	0.081
1658	0.012
2327/2	0.117
2328	0.069
योग :	0.335 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- करनौद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1241/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम - बिलारी, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.077 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
796/2	0.077
योग :-	0.077 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- बिलारी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1242/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम - बर्रा, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.149 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
68/2	0.065
470/2	0.020
68/1	0.057
116	0.065
442	0.065
82/4	0.049
414	0.040
83/1	0.053
83/2	0.040
93	0.105
70	0.065
89/1	0.101
90	
92/2	0.036
104/1	0.036
106/1	0.089
114	0.024
417/1	0.045
422/2	
412	0.073
441	0.040
469	0.024
471	0.016
योग :	**1.149 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- बर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता-है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1243/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम - झालरौंदा, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.167 हेक्टर -

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
295/1 क	0.016
295/2	0.004
294	0.045
321/1	0.040
319/1	0.028
320	0.069
325/2	0.045
326/2	-
322/2	0.061
322/1	0.012
318/1	0.004
323	0.065
324	-
313/1	0.073
313/3	0.008
313/2	0.036
312/1	0.036
312/2	0.040
312/3	0.008
332/1	0.049
332/2	0.061
331	0.069
334/2	0.109
337/2	0.061
339/2	0.049
337/4	0.045

(1)	(2)
338/2	0.077
338/1	0.004
336/2	0.053
योग :	**1.167 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- बर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 सितम्बर 2003

क्रमांक 1244/सा-1/सात.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम - झालरौंदा, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.572 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1071/2	0.142
1126/1	0.028
1154/3	0.012
1144/1	0.045
1125/2	0.069
1124	0.081
1144/2	0.061
1122/1	0.032
1121/1	0.016
1154/1	0.073
1154/2	0.081
1145/5	0.032
1145/2	0.036
1145/4	0.040
1146/1	0.061
1137/1	0.089
1348	0.032
1136/3	0.008
1437/1	0.061
1436/2	0.020
1444	0.093
1443/3	0.024
1440	0.036
1441/1	0.134
1326/1	0.121
1441/2	0.012
1326/2	0.0121
1325/2	0.012
योग :	**1.572 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- झालरौंदा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1245/सा-1/सात.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम - झालरौंदा, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.182 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237	0.032
238	0.065
239/1	0.081
240/1	0.004
योग :	**0.182 हेक्टेयर**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- लोहराकोट माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1246/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला - जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम - लोहराकोट, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.660 हेक्टर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- लोहराकोट माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, 23 अक्टूबर 2003

प्र.क्र.6 अ 82/01-02.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित सम्पत्तियों की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) सम्पत्तियों का वर्णन –

(क) जिला – कबीरधाम

(ख) तहसील – कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम – जुनवानी

क्र.	कास्तकार का नाम/ पिता, पति का नाम	सम्पत्तियों का विवरण			
		मकान (प्रकार)	कुंआ (प्रकार)	ट्यूबवेल	वृक्षों की संख्या एवं प्रजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छन्नू/जनहू	कच्चा	पक्का (1 नग)	-	मुनगा - 06 सीताफल - 03 नीबू - 01 केला - 03 बेर - 15
2.	इतवारी/रामसिंह	कच्चा	-	-	- -
3.	गोपाल/गनेश	कच्चा	-	(1 नग)	मुनगा - 04 बिही - 02 सीताफल - 01 बेर - 04
4.	किजउ/खोरबहरा	कच्चा	-	-	मुनगा - 02 बिही - 01 नीबू - 01 केला - 04
5.	लतेल/गुरियार	कच्चा	-	-	निरंक
6.	जेठू/चरन	कच्चा	-	-	मुनगा - 02 सीताफल - 01
7.	मंगल/खोरबहरा	कच्चा	-	-	मुनगा - 01
8.	फगुवा/चरन	कच्चा	-	-	मुनगा - 03
9.	फागू/चरन	कच्चा	-	-	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
10.	धनसिंह/अकबर	कच्चा	-	-	मुनगा	-	03
					बिही	-	05
					नीबू	-	01
					आम	-	08
11.	बहोरन/गनेश	कच्चा	-	-	मुनगा	-	02
					बिही	-	01
					सीताफल	-	01
12.	रतन/गनेश	कच्चा	-	-	मुनगा	-	02
					सीताफल	-	02
					नीम	-	01
13.	जागृत/नैनदास	कच्चा	-	-	सीताफल	-	02
					बेर	-	02
14.	तारण/गनेश	कच्चा	पक्का (1नग)	-	मुनगा	-	06
					बिही	-	02
					सीताफल	-	06
					नीबू	-	02
					बेर	-	01
					आम	-	01
					नीम	-	02
					मौसंबी	-	01
					आंवला	-	01
15.	पुसे/हल्कू	कच्चा	पक्का (1 नग)	-	मुनगा	-	04
					बिही	-	04
					सीताफल	-	25
					नीबू	-	03
					गंगाइमली	-	02
					केला	-	14
					बेर	-	03
					आम	-	04
					नीम	-	01
					बबूल	-	01
					जाम	-	01
16.	सूनेलाल/हल्कू	कच्चा	-	-	पपीता	-	04
					अनार	-	01
					रामफल	-	01
					संतरा	-	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
17.	बालकण/धीरपाल	कच्चा	-	-	निरंक		
18.	आनंद सिंह/सुंदर सिंह	कच्चा	-	-	मुनगा	-	01
					बिही	-	01
					केला	-	06
					बेर	-	01
					पपीता	-	03
19.	प्रभुसिंह/सुंदरसिंह	कच्चा	-	-	मुनगा	-	04
					सीताफल	-	02
					नीबू	-	01
					गंगाइमली	-	02
					बेर	-	01
					आम	-	01
20.	भादू/बिहारी	कच्चा	-	-	मुनगा	-	02
					बिही	-	01
					सीताफल	-	03
					गंगाइमली	-	01
					नीम	-	01
21.	गोरे/शत्रुहन	कच्चा	-	-	निरंक		
22.	जेठकुंवर/कुंवर सिंह	कच्चा	-	-	मुनगा	-	01
23.	वेदराम/बराती	कच्चा	-	-	निरंक		
24.	होरीलाल/चुन्नू	कच्चा	-	-	निरंक		
25.	कृष्णकुमार/रूरू	कच्चा	-	-	बिही	-	02
					बेर	-	01
					आम	-	04
26.	सुनउ/मिलउ	कच्चा	-	-	गंगाइमली	-	01
27.	भूखू/कन्हैया	कच्चा	-	-	निरंक		
28.	शत्रुहन/उमेन्द सिंह	कच्चा	-	-	मुनगा	-	06
					बिही	-	04
					सीताफल	-	42
					नीबू	-	02
					गंगाइमली	-	03
					बेर	-	01
					नीम	-	03
					इमली	-	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
29.	ब्रेयन. टेटकू	कच्चा	-	-	मुनगा	-	04
					नीबू	-	01
					गंगाइमली	-	01
					बेर	-	02
					आम	-	01
					मौसंबी	-	02
30.	गनेश सिंह/कुंदन सिंह	कच्चा	-	-	निरंक		
31.	राजाराम/बुधराम	कच्चा	-	-	निरंक		
32.	जयसुख/हिरजीभाई	कच्चा, पक्का	-	-	मुनगा	-	02
					सीताफल	-	03
					आम	-	01
33.	खेटू/प्यारी	कच्चा	-	-	निरंक		
34.	तुलसी/लखन	कच्चा	-	-	मुनगा	-	01
35.	रांधे/इतवारी	कच्चा	-	-	निरंक		
36.	गेदराम/खोरबहरा	कच्चा	-	-	मुनगा	-	02
					सीताफल	-	02
					नीबू	-	03
					जाम	-	03
					इमली	-	01
					बांस	-	45
					शिवबबूल	-	02
					करंज	-	04
37.	रामाधीन/खोरबहरा	कच्चा	-	-	बिही	-	01
					नीबू	-	02
					गंगाइमली	-	01
					बेर	-	02
38.	संतोष/रामाधीन	कच्चा	-	-	निरंक		
39.	लखन/खोरबहरा	कच्चा	-	-	निरंक		
40.	इन्द्राणी/झनक	कच्चा	-	-	बिही	-	02
41.	संतोष/नैनदास	कच्चा	-	-	बिही	-	01
42.	मनबोधी/नैनदास	कच्चा	-	-	बांस	-	236
43.	गायत्री/बजरहा	कच्चा	-	-	मुनगा	-	01
					आम	-	02
44.	गोवर्धन/रेवाराम	कच्चा	-	-	निरंक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	गीताराम/रेवाराम	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
					बिही - 02
					नीबू - 01
					गंगाइमली - 02
					रिया - 01
46.	महावीर/रेवाराम	कच्चा	-	-	निरंक
47.	मनहरण/रवाराम	कच्चा	-	-	निरंक
48.	भागवत /रेवाराम	कच्चा	-	-	निरंक
49.	विमलाबाई उर्फ गौतरहीन/बनउ	कच्चा	-	-	बबूल - 01
50.	गायत्री/बनउ	कच्चा	-	-	निरंक
51.	अंजोरी/बनउ	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
					नीम - 01
52.	उजियार/बनउ	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
					गंगाइमली - 01
					आम - 01
					नीम - 01
53.	वीर सिंह/मोहन	कच्चा	-	-	निरंक
54.	पुसउ/कली	कच्चा	-	-	निरंक
55.	मंगलू/परसादी	कच्चा	-	-	मुनगा - 01
					आम - 02
56.	साधू/सोनउ	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
					गंगाइमली - 01
					नीम - 01
					बबूल - 02
					शिवबबूल - 01
57.	दशोदा/रतन	कच्चा	-	-	मुनगा - 01
					नीबू - 02
					आम - 02
58.	प्रेमसिंह/सुंदर सिंह	कच्चा	-	-	मुनगा - 01
					बिही - 03
					नीबू - 01
					आम - 03
59.	प्रेमसिंह/सुंदर सिंह	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
					बेर - 01
					बबूल - 01
					बाँस - 484

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60.	जगेसिंह/इतवारी	कच्चा	-	-	निरंक
61.	नैनदास/बयेलादास	कच्चा	-	-	मुनगा - 06
					बिही - 02
					नीबू - 03
62.	बालकदास/नानकदास (नानकदास/ बालकदास	कच्चा	-	-	मुनगा - 07
					बिही - 03
					सीताफल - 04
					नीबू - 02
					बेर - 02
					नीम - 01
					सागोन - 02
					खजूर/छिंद - 01
63.	मेहतरीन/समेलाल	कच्चा	-	-	सीताफल - 02
					गंगाइमली - 02
64.	आनंद/समेलाल	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
					सीताफल - 05
65.	रामसिंह/सुब्बू	कच्चा	-	-	निरंक
66.	भूरीबाई/सुब्बू	-	-	-	निरंक
67.	सुब्बू/गोटिया	कच्चा	-	-	निरंक
68.	सीताराम/सुब्बू	कच्चा	-	-	निरंक
69.	बुंदाबाई/सुबेदार	कच्चा	-	-	मुनगा - 01
					बिही - 01
70.	दुर्गा/दुकालू	कच्चा	-	-	निरंक
71.	प्रेम/दुकालू	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
72.	चन्द्र प्रसाद/दुकालू	कच्चा	-	-	निरंक
73.	ननकुनिया/जगदीश	कच्चा	-	-	मुनगा - 01
					बिही - 01
74.	इतवारी/सुब्बू	कच्चा	-	-	निरंक
75.	लछन/गुमान	कच्चा	-	-	निरंक
76.	कार्तिक/लतेल (फुलेल/कार्तिक	कच्चा	-	-	मुनगा - 02
77.	बिसाहू/लतेल	कच्चा	-	-	निरंक
78.	उत्तरा कुमार/बिसाहू	कच्चा	-	-	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
79.	केजाबाई/भादू	कच्चा	-	-	निरंक		
80.	शांतिबाई/दौआ	कच्चा	-	-	मुनगा	-	02
					बेर	-	01
81.	राधे/बिसौहा	कच्चा	-	-	निरंक		
82.	मंगल/सुबेदार	कच्चा	-	-	मुनगा	-	03
					बिही	-	01
					गंगाइमली	-	01
					आम	-	01
83.	अमृत/मंगल	कच्चा	-	-	निरंक		
84.	चंद्रिका/मंगल	कच्चा	-	-	निरंक		
85.	मानसिंह/सुबेदार	कच्चा	-	-	निरंक		
86.	इतवारी/चैतू	कच्चा	-	-	मुनगा	-	02
87.	हेमसिंह/सदन	कच्चा	-	-	मुनगा	-	06
					सीताफल	-	02
					नीबू	-	01
					केला	-	01
88.	हमीद/साहबूत	कच्चा	-	-	निरंक		
89.	चन्द्रनारायण/द्वारका	-	पक्का (1 नग)	-	निरंक		
90.	ग्वालिन बाई/द्वारका	-	-	1 नग	निरंक		
91.	बेदराम/खोरबहरा	-	-	-	मुनगा	-	01
					सीताफल	-	02
					नीबू	-	01
					बेर	-	03
					आम	-	02
					बबूल	-	01
					जाम	-	01
					मौसंबी	-	01
92.	वीरसिंह/बाबूराम	-	-	-	मुनगा	-	02
					बिही	-	01
93.	पंडा/पुसउ	-	-	-	मुनगा	-	01
					सीताफल	-	02
94.	खोरबाई/इतवारी	-	-	-	मुनगा	-	01
					बेर	-	01
95.	बिमला/सीताराम	-	-	-	मुनगा	-	01
					सीताफल	-	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
96.	भागा बाई/रामसिंह	-	-	-	मुनगा	-	02
	कुल योग	**88**	**4 नग**	**2 नग**	**1232**		

शासकीय कुंआ - 01

शासकीय भवन - 07

शासकीय हैण्डपंप - 05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सुतिया पाट परीयोजना के डुबान हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कबीरधाम के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

प्र.क्र.6 अ 82/02-03.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – कबीरधाम

(ख) तहसील – कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम – भन्सुला

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 114.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
10	9.00
42/2	2.96
13/6	0.40
14/2	
79/2	3.08
97/13	0.19
79/1	2.50
63/1	1.40
63/2	
62	2.44
65/1	2.00
65/2	2.28
66	
67	2.34
68	
69	
83/3	
113/1	
115/1	1.50
116/1	
117/1	
120/1	
123/1	
126/1	
127/1	
128/1	
130/1	7.92
137/1	
138/1	
139/1	
140/1	
141/1	
121	0.12
122	0.40
124	0.28
132	0.26
134	0.20
135	0.35
136	0.40
83/1	
113/1	
115/1	1.50
116/1	
117/1	
109	0.75
111	1.00
112	0.60
114/1	0.58
72	12.81
74/2	3.56
148/2	
145	
146	7.18
147	
47/2	2.96
74/1	3.50
148/1	

150	4.22
73	4.10
143	8.15
97/1 झ	0.22
97/1 ठ	0.02
97/1 अ	0.02
97/2 ख	0.02
99	0.78
101	0.52
102	0.08
103	0.06
116/2	1.30
118	0.32
119	0.22
120/3	
123/3	
129/3	
127/3	
128/3	9.65
130/3	
137/3	
138/3	
139/3	
140/3	
142/1	8.14
70	0.34
71	0.25
106	1.84
योग :-	114.71 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है - सुतियापाट जलाशय के अन्तर्गत डुबान एवं बांध पार में अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

प्र.क्र.7 अ 82/02-03.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन.--

(क) जिला - कबीरधाम

(ख) तहसील - कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम - सरौदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.44 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
52	0.40
65/2	0.40
योग :-	0.44 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सुतियापाट जलाशय के अन्तर्गत डुबान एवं बांध पार में अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

प्र.क्र.8 अ 82/02-03.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - कबीरधाम

(ख) तहसील - कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम - बनखैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 108.93 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
20	4.00
22/1	0.33
23	2.00
42	1.01
22/2	8.00
26	1.80
67	2.00
32, 36, 37	0.20
43	0.10
47	2.31
63	1.88
64/2	3.40
64/3	1.00
64/4	2.49
68	10.16
69/1	11.24
69/2	11.24
70/1, 70/3, 71/2	6.26
70/2, 72/1	6.75
70/4	16.38
70/6	16.38
योग :-	108.93 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है - सुतियापाट जलाशय के अन्तर्गत डुबान एवं बांध पार में अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

प्र.क्र.9 अ 82/02-03.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – कबीरधाम

(ख) तहसील – कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम – नवागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 108.83 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
13/4	0.80
13/1	3.25
13/2	0.33
13/5	0.33
13/7	0.10
13/9	0.28
13/21	0.44
13/23	0.50
13/13	0.33
13/14	0.15
13/11	1.30
42/2	0.50
39/2	4.00
39/1	2.52
44	1.50
46	0.44
13/24	0.44
13/25	0.33
13/27	0.43
13/ 29	0.36
15	5.68

(1)	(2)
17/1	1.67
38/2	2.50
16/1	3.20
19/1	19.98
18	16.63
16/2	2.00
20/4	1.70
20/7	1.10
45/1	2.80
13/3	2.70
13/8	1.50
13/10	0.56
45/2	3.34
42/1	2.10
47	4.75
40	4.64
35	1.64
20/2	1.94
20/8	1.10
20/1	1.95
20./3	1.90
20/5	1.10
13/12	0.50
19/2	0.34
19/3	0.25
19/4	0.25
13/19	0.66
13/32	0.54
13/16	0.20
13/20	0.10
13/26	0.15
योग :-	108.83 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए आवश्यकता है - सुतियापाट जलाशय के अन्तर्गत डुबान एवं बांध पार में अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

प्र.क्र.10 अ 82/02-03.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - कबीरधाम

(ख) तहसील - कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम - कटंगीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
61 62	4.00
योग :-	4.00 एकड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सुतियापाट जलाशय के अन्तर्गत डुबान एवं बांध पार में अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एम.व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा- (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

प्र.क्र.2 /अ 82/03-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – बारापीपर, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 2.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1520	0.1
2	0.03
1/1-2	0.08
3	0.06
4	0.03
5/1	0.05
6/1-2	0.04
7/1-2	0.04
11	0.12
15	0.05
13	0.04
16/1-2	0.03
17/1	0.04
19/1	0.05
20/3	0.11
20/6	0.06
21	0.12
24	0.05
25	0.15
28	0.06
27	0.07
30	0.10
31	0.16
32/1-4	0.11
33	0.09
52/1-6	0.21
50	0.13
46/2'47	0.15
468/1-2	0.12
योग	2.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइनर-I निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.1 /अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – मौहापाली, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 1.90 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
288/2	0.07
11	0.05
37	0.05
23	0.05
9	0.07
10	0.05
280'284	0.17
283.	0.05
282/1	0.05
281/2	0.08
281/2	0.07
280	0.03
305/5	0.02
306/2	0.02
307/1	0.07
16	307/1 0.07

(1)	(2)
17	308/1 0.15
18	309'310 0.10
19	413/2 0.08
20	413/3 0.07
21	413/1 0.26
22	412/2 0.09
23	412/1 0.06
24	411 0.04
25	411 0.06
26	280/4 0.02
योग	1.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहापाली माइनर-II निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.3 /अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – मौहापाली, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 1.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.17
2/1	0.10
3	0.01
2/5	0.29
8	0.07
7/4	0.02
7/3	0.05
11/2	0.13
12/1	0.14
13/35	0.04
13/3ख	0.03
13/4ख	0.08
14/2	0.18
15	0.14
योग	14 1.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहापाली माइनर-I निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.4/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – लटेसरा, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 1.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
216	0.03
223	0.07

(1)	(2)
236 237	0.06
235	0.12
241	0.12
246	0.07
251/1	0.12
252/1	0.13
258	0.22
262/1	0.14
263	0.09
165/1-2	0.01
265/2	0.09
268	0.13
267	0.01
251/2	0.01
योग	**16 1.42**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहापाली माइनर-II निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.5/ अ 82/03-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – सुरसी, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 0.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
226/1	0.19
226/2	0.04
226/3	0.14
228	0.02
योग	**4 0.39**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइनर-I निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.6/ अ 82/03-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – सपोस, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 2.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
9742/1	0.05
9742/2	0.14
1767/1-7	0.12
1777/2	0.01
1777/1	0.09
1777/3	0.01
1777/4	0.04
1776	0.12

(1)	(2)
1778	0.06
1884/2, 1799	0.19
1809	0.07
1797	0.03
1798	0.03
1796	0.06
2081, 2085	0.02
2086	0.20
1795	0.09
2087	0.09
2088	0.12
2089	0.14
2113	0.12
2112	0.09
2111/4	0.08
2110/1-2	0.08
2109/1	0.09
2108/2	0.06
1801	0.09
योग	**2.30**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के लटेसरा माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.7/ अ 82/03-04.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - डभरा

(ग) नगर/ग्राम - कांशीडीह, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.38 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1	0.06
4	0.05
5	0.07
6/2	0.03
8/1	0.03
9/1-8	0.06
11	0.08
योग -	**0.38**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - चन्द्रपुर वितरक नहर के कांशीडीह माइनर-I निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.10/ अ 82/03-04.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील - डभरा

(ग) नगर/ग्राम - कांशीडीह, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
621	0.02
622/1	0.21
622/2	0.45
622/3	0.10
544/1	0.17
685/1	0.22
685/2	0.06
685/1 क ख ग	0.14
693	0.12
योग-	1.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। चन्द्रपुर वितरक नहर के कांशीडीह माइनर-II निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.8/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – सपोस, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 2.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1379	0.01
2157	0.01
1378	0.09
1377	0.06
1376	0.09
1375	0.07
1374	0.03
1343	0.04
1358	0.75
1357	
1317/2	0.05
1317/1	0.06
1359	0.29
1360	0.12
1316	0.10
1313	0.13
1312	0.05
1469	0.26
1468	0.28
1483	0.13
1471	0.06
1481	0.03
1472	0.05
1473	0.10
1262	0.17
1462	0.16
1050	0.32
योग-	2.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के बगैरल सब माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.9/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,

1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – रेड़ा, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 1.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1051	0.13
1315/1	0.12
1315/2	0.57
1311	0.17
1305/2	0.13
1305/1	0.34
1325	0.06
1326	0.04
1327	0.04
1328	0.04
1329	0.03
1330	0.04
1338	0.19
1337	0.04
योग -	**1.94**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के रेड़ा माईनर-I निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.11/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) ज़िला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – बारापीपर, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 3.46 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
138	0.05
139/1-4	0.13
140/2	0.15
140/1	0.15
358	0.55
355/1-8	0.25
369/1-6	0.20
370/4	0.05
371	0.08
368/1-3	0.05
368/1-3	0.06
105/1-3	0.05
103/1-3	0.14
16/1-2	0.13
94	0.11
81/1-2	0.10
397/1-2	0.11
398	0.05
400	0.06
75/8	0.07
75/1	0.04
75/1-2	0.17
444	0.07
443	0.19
570	0.09
567	0.09

(1)	(2)
569/1-2	0.08
566	0.05
582/1	0.14
योग -	3.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइनर-II निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.12/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – लटेसरा, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 2.21 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
375/1-2	0.07
374 376	0.10
377	0.11
373	0.01
378/3	0.01
366	0.08
364	0.24
356	0.11
358/1-2	0.18
366/1	0.11
510/1	0.04
332	0.11
330	0.19
508/2	0.11
420	0.12
521	0.05
536	0.13
522/2	0.19
525/1, 524	0.24
527/1	0.01
योग -	2.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के कांशीडीह माइनर-I निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.14/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – लटेसरा, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 1.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.03
14	0.08

(1)	(2)
15/2	0.10
16/1	0.06
17/1-2	0.10
27	0.12
31	0.10
30	0.05
34	0.12
36	0.08
41	0.07
40	0.03
43	0.10
44	0.07
47/2	0.11
47/3	0.01
47/1	0.17
योग -	**1.40**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहापाली माइनर-I निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.13/ अ 82/03-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – रेड़ा, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 1.25 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1166/1	0.02
1153	0.18
1151/1,2,3	0.08
1152	0.02
1150	0.09
1141, 1149	0.07
1116	0.08
1115/1,2,3	0.12
1117	0.02
1118	0.09
1119	0.13
1120	0.06
1274	0.09
योग -	**1.25**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के रेड़ा माइनर-II निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.15/ अ 82/03-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – बगरैल, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 3.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
680	0.04
680/2	0.17
679	0.01
681	0.06
682	0.05
733/1	0.04
733/2	0.04
734	0.06
735	0.19
737	0.14
725/5	0.16
725/4	0.08
751	0.12
752/1 क	0.11
752/2	0.10
753	0.11
754	0.15
610	0.17
609	0.14
608	0.20
609/2	0.10
586	0.28
585	0.07
535	0.01
540	014
537	0.07
536/1	0.12
522/3, 519/1	0.01
519/1, 522/2,521/1	0.08
518/2	0.12
518/1	0.06
495/3	0.03
495/1	0.08
496	0.08
497	0.17
501	0.10
योग -	3.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - चन्द्रपुर वितरक नहर के बगरैल माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.17/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – सपोस, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 1.16 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2159/4	0.07
2159/3	0.07
2158/1-3	0.02
2156	0.03
2157/1-5	0.18
1301	0.08
2164/1	0.03
2165	0.15
1338	0.03
2166	0.03
1331	0.24

(1)	(2)
1327	0.07
1326	0.06
1328	0.08
1329	0.09
योग -	1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के बगरैल माइनर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू.-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.16/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – सपोस, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 4.73 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
485	0.05
1901/2	0.14
1706/1	0.09
1707	0.10
1908/1	0.92
1710/1	0.06
1919/2	0.05
1699	0.05
1919/1	0.09
1696/2, 1689	0.11
1687/2	0.08
2042/1 ख	0.06
1826/1-2	0.17
2042/2	0.07
1896	0.08
2027	0.22
1899	0.10
1900	0.14
1648, 1649	0.18
1904/4	0.04
1709/1	0.06
1907/1-2	0.10
1714	0.21
1922	0.01
1698	0.02
1917/1-2	0.06
1686/1	0.05
2042/1 ग	0.10
1827	0.08
2042/1 क	0.10
1823	0.08
2034	0.10
1898/4	0.08
2025/2	0.11
484	0.07
1881/1-2	0.10
1880/2	0.11
1708	0.06
1908/2	0.11
1913/3	0.08
1919/3	0.11
1697	0.06
1918	0.19

(1)	(2)
1688/2	0.03
2045	0.08
1834/3	0.10
2042/1 च	0.08
1824	0.16
2033	0.05
1895	0.14
2026/1	0.12
2025/1	0.07
1923/1	0.07
योग -	4.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चन्द्रपुर वितरक नहर के सपोस माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

रा.प्र.क्र.18/ अ 82/03-04.– चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला – जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील – डभरा

(ग) नगर/ग्राम – बारापीपर, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 5.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
176/1	0.08
177/2	0.05
178/1	0.11
179/4	0.09
184/2, 185/2	0.08
186/1	0.08
186/2	0.08
199	0.26
200	0.01
217/1-2	0.04
215	0.04
216, 233	0.16
234	0.08
233	0.06
241	0.03
242	0.14
248/1-3	0.12
253/1-3	0.12
259	0.07
258/1-2	0.05
255, 256	0.08
270	0.07
273/4	0.02
273/5	0.06
274	0.11
275/1 j	0.11
275/1 ch	0.11
275/1 g	0.11
282/1-2	0.05
285, 286	0.07
287	0.03
288/2, 289/1	0.11
289/2	0.45
331/1	0.10
331/2	0.10
332/1	0.03

(1)	(2)
332/2	0.03
334	0.11
329	0.09
755	0.11
757/2	0.10
784	0.10
782/1-2	0.02
781	0.08
791/1-4	0.05
776/1-3	0.12
799/1-6	0.13
826/1	0.09
825/1	0.07
824/1-2	0.08
822/1-2	0.04
820; 821	0.06
816/1	0.04
840/2	0.09
841/1-8	0.09
842	0.22
848/1	0.10
849	0.05
851/1-10	0.04
239	0.06
योग -	5.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइनर-III निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम.आर. सारथी, कलेक्टर, एवं पदेन उप -सचिव